जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2023
जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023

'यह वंचितों को अधिकार देने का बिल है'

संसद में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के भाषण

प्रस्तावना: श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

भाजपा प्रकाशन विभाग

श्री जगत प्रकाश नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 370 के विषय में दिये गये फ़ैसले का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने धारा 370 और 35A को हटाने के लिए दिए गये निर्णय, उसकी प्रक्रिया और उद्देश्य को सही ठहराया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने जम्मू-कश्मीर को देश की मुख्य विचारधारा में जोड़ने का ऐतिहासिक काम किया है, इसके लिए मैं और हमारे करोड़ों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करते है।

11 दिसंबर, 2023

जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2023
जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023

'यह वंचितों को अधिकार देने का बिल है'

संसद में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के भाषण

भाजपा प्रकाशन विभाग
6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

प्रकाशकीय

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरी एवं व्यावसायी शिक्षा में आरक्षण का लाभ मिल सकेगा, वही जम्मू-कश्मीर पुर्नगठन (संशोधन) विधेयक, 2023 जम्मू-कश्मीर विधानसभा में सदस्यों की संख्या 107 से 114 करता है तथा तीन मनोनीत सदस्यों का भी प्रावधान करता है।

इसी बीच धारा 370 एवं 35 (ए) को निरस्त करने के मोदी सरकार के ऐतिहासिक निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय से दशकों से इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी एवं पूर्व में जनसंघ का पक्ष संवैधानिक रूप से सही प्रमाणित हुआ है। भाजपा का शुरू से ही यह मत रहा कि धारा 370 संविधान में एक अस्थायी प्रावधान था तथा यह जम्मू-कश्मीर की जनता का भारत के साथ एकीकरण, उनके विकास, प्रगति एवं प्रदेश में शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ही सुदृढ़ एवं साहसिक निर्णय से संभव हुआ है कि आज धारा 370 निरस्त हुई है तथा जम्मू-कश्मीर शांति, विकास एवं प्रगति की ओर जमीनी लोकतंत्र को जीवंत कर आगे बढ़ चला है। परिणाम यह है कि आतंकवाद-अलगाववाद जड़ से समाप्त हो रहा है तथा जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख आज शांति, उन्नति एवं समृद्धि के नए सवेरे का स्वागत कर रहा है।

इन विधेयकों को प्रस्तुत कर संसद में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपने सारगर्भित भाषणों से चर्चा का उत्तर दिया। हम इस पुस्तिका में लोकसभा एवं राज्यसभा में उनके दिये गये भाषणों का संपादित पाठ प्रकाशित कर रहे हैं। साथ ही भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा इस पुस्तिका की 'प्रस्तावना' लिखने के हमारे आग्रह को स्वीकार करने के लिए हम हृदय से उनके आभारी हैं। आशा है, इस पुस्तिका से हमारे पाठकगण लाभान्वित होंगे।

प्रकाशक

भाजपा प्रकाशन विभाग

मार्च, 2024

6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002

प्रस्तावना

संसद के शीतकालीन सत्र, 2023 में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2023 एवं जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 पारित हो गया। जम्मू-कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में ये अति महत्वपूर्ण विधेयक हैं, जिनसे भारतीय संविधान के मूल-सिद्धांतों के आधार पर वंचितों को उनके अधिकार मिलेंगे तथा उनके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। इससे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का वंचितों, पीड़ितों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाओं एवं युवाओं के लिए अटूट प्रतिबद्धता पुनः प्रमाणित होती है।

स्वतंत्रता के पश्चात् से ही जम्मू-कश्मीर में ऐसी व्यवस्था चली, जिसमें वंचितों एवं विस्थापितों के अधिकारों की लंबे समय तक घोर उपेक्षा की गयी। जम्मू-कश्मीर के न्यायिक परिसीमन के अंतर्गत प्रदेश की विधानसभा में वंचितों, विस्थापितों एवं महिलाओं को अब उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, साथ ही पाक-अधिकृत कश्मीर (पीओके) के लिए भी सीटें आरक्षित की गयी हैं। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 107 से 114 करते हुए तीन मनोनीत सदस्यों के प्रावधान से अब हर वर्ग को प्रतिनिधित्व एवं हर व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़े हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य 'पिछड़ा वर्ग' के संवैधानिक नामावली का उपयोग जम्मू-कश्मीर के पिछड़े वर्ग की गरिमा को प्रस्थापित करता है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सुदृढ़ नेतृत्व में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा प्रस्तुत धारा 370 निरस्त करने का विधेयक इस संसद में भारी समर्थन से पारित हुआ था। इस मजबूत कदम पर कई प्रश्न खड़े करने के प्रयास हुए, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्णय ने 'दूध का दूध एवं पानी का पानी' कर दिया है। यह एक संयोग ही है कि संसद में इन दो विधेयकों पर चर्चा हो रही थी कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया। इस निर्णय में न केवल धारा 370 का निरस्त होना संविधान सम्मत बताया गया, बल्कि जनसंघ के काल से चला आ रहा हमारा मत कि धारा 370 संविधान का एक अस्थायी प्रावधान है, इसे भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में रेखांकित किया है। साथ ही, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि न जम्मू-कश्मीर को भारतीय संविधान के अंतर्गत कोई विशेषाधिकार है, न ही धारा 370 का निरस्त होना असंवैधानिक है। यह हमारे

लिए एक वैचारिक उपलब्धि तो है ही, साथ ही पूरे देश की भावनाओं का भी संविधान-सम्मत प्रकटीकरण है।

धारा 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर व्यापक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, साथ ही लोकतंत्र एवं विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आतंकवाद पर 'जीरो-टॉलरेंस' की नीति के परिणामस्वरूप आज प्रदेश में आतंकवादी घटनाओं में भारी कमी आयी है तथा आज पर्यटकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुयी है। जहां घाटी में पथराव की घटनाएं होती थीं, वहां आज 30 वर्षों के अंतराल के बाद थियेटर शुरू हुए हैं एवं 100 से अधिक सिनेमाघर खोले जा रहे हैं। अनेक जलविद्युत, सिंचाई तथा रोपवे जैसी परियोजनाओं से विकास के नये आयाम गढ़े जा रहे हैं।

इन दो विधेयकों को केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने दोनों सदनों में प्रस्तुत किया एवं चर्चा का उत्तर भी दिया। भाजपा प्रकाशन विभाग उनके भाषणों पर केन्द्रित यह पुस्तिका प्रकाशित कर रहा है। इस पुस्तिका से जम्मू-कश्मीर में आए परिवर्तन एवं वहां उठाए गए कदमों का पाठक अध्ययन कर सकेंगे।

जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी

मार्च, 2024

अनुक्रमणिका

प्रकाशकीय

प्रस्तावना

लोकसभा

यह वंचितों को अधिकार देने का बिल हैः अमित शाह 08

राज्यसभा

'आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनने की शुरुआत हा गई है' 33

लोकसभा

यह वंचितों को अधिकार देने का बिल है: अमित शाह

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 6 दिसंबर, 2023 को लोकसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा का उत्तर दिया।

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा ने पारित कर दिया

माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 पर इस सदन में जो बहस हुई है, उसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मुझे एक बात का आनन्द भी है और यह हमारी संसदीय प्रणाली के लिए अच्छा भी है कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया है, इस बिल के हृदय का विरोध नहीं किया है। लगभग 6 घंटे तक चर्चा चली है और कांग्रेस के डॉ. अमर सिंह जी से लेकर श्री अधीर रंजन जी तक 29 वक्ताओं ने अपने-अपने तरीके से विचार व्यक्त किए हैं, मगर बिल के उद्देश्यों के साथ सभी ने सहमति व्यक्त की है। इसलिए, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं यहां पर जो बिल लेकर आया हूं, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं, उसके बारे में बोलना चाहूंगा। 70 सालों से जिन पर अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए हैं और जिनकी अनदेखी की गई है, उन सभी लोगों को न्याय दिलाने का यह बिल है, उनको अधिकार दिलाने का यह बिल है।

वंचितों को वरीयता

किसी भी समाज में जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। यह भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ-साथ इसका सम्मान कम न हो, उस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग का नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों चीजों को ढेर सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अलग-अलग तरीके से थोड़ा कम आंकने का प्रयास भी किया है। किसी ने कहा कि यह पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूं कि अगर हमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ इसमें उनका सम्मान जुड़ा है, उसे जरूर देखना चाहिए। नाम के साथ सम्मान जुड़ा होना, यह वही लोग देख पाते हैं, जो उनका उत्कर्ष अपना भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए व्यक्ति को भाई समझकर संवेदना के साथ ऊंगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं।

> नरेन्द्र मोदी जी ऐसे नेता है, जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधानमंत्री बने हैं। वे पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वे गरीब का दर्द भी जानते हैं

वे लोग इसका नाम नहीं समझ सकते, जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग करके अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेन्द्र मोदी जी ऐसे नेता है, जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधान मंत्री बने हैं। वे पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वे गरीब का दर्द भी जानते हैं। जब इनको आगे बढ़ाने की बात होती है, तब कई बार तो मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है।

मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ढेर सारे माननीय सदस्यों के भाषण सुने भी

हैं और पढ़े भी हैं। यह भाव सिर्फ नाम बदलने से क्या होता है, को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं।

मैं आज जो बिल लेकर आया हूं, इस बिल के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि भी बताना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय संघ के साथ इनके विलय का निर्णय किया, उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उतार-चढ़ाव हुए। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वह बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझ कर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझ कर रहते थे, वे मूल समेत उखड़ गए और किसी ने इनकी केयर नहीं की। इनकी चिंता भी नहीं की और न ही इसको रोकने का प्रयास किया गया। कई बार मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेवारी थी, वे इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और फिर कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख-माथों पर, अगर दी है, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और सख्ती के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको, उगता हुआ आतंकवाद को खत्म करते, तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती और न ही मुझे आज सदन के सामने यह बिल लेकर आना पड़ता।

> पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझ कर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझ कर रहते थे, वे मूल समेत उखड़ गए और किसी ने इनकी केयर नहीं की

1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित

जब ये विस्थापित हुए, तब देश के अन्य हिस्सों में, उनको अपने ही देश में शरणार्थी बनकर जाना पड़ा। वे दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई न जाने कहां-कहां गए? वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार लगभग 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। वे इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के

प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ गई। यह बिल उनको अधिकार देने के लिए है, यह बिल उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए है।

कश्मीर के लिए एक प्रकार से तीन युद्ध हुए। वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया। इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर से जम्मू-कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू-कश्मीर में और 5,400 परिवार देश भर में फैल गए। वे पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 1965 और वर्ष 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए। कुल मिलाकर वर्ष 1948, 1965 और 1971 इन तीनों युद्धों में 41,844 परिवार विस्थापित हुए। मैं विस्थापितों की स्थिति के बारे में बाद में बात करूंगा। यह बिल उनको अधिकार देने का बिल है, यह बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है। आज वे लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वे वहां चुनाव लड़कर वहां की असेम्बली में बैठें। जो कहते हैं कि क्या हुआ धारा-370 का? क्या हुआ 5 अगस्त और 6 अगस्त तो 5 अगस्त और 6 अगस्त, 2019 में यह हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेन्द्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला।

> **डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड असेम्बली, यह लोकतंत्र का मूल है, जनप्रतिनिधि को चुनने की इकाई तय करने की प्रक्रिया है**

जिस 5 अगस्त और 6 अगस्त, 2019 का बिल कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकड़ की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इसी बिल का हिस्सा न्यायिक डिलिमिटेशन था। यह एक शब्द नहीं है बल्कि यह दो शब्द जोड़ कर बना है। क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था, वह इस तरह से था कि एक कांस्टीटूएंसी यहां बनी है और दूसरा, वह कांस्टीटूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है क्यों, क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है।

डिलिमिटेशन और लोकतंत्र

इस तरह से डिलिमिटेशन हुआ। यह डिलिमिटेशन के सामने मैंने जान-बूझकर एज ए लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन लिखा था, वह आज मैं सदन

को बताना चाहता हूं। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड असेम्बली, यह लोकतंत्र का मूल है, जनप्रतिनिधि को चुनने की इकाई तय करने की प्रक्रिया है। असेम्बली जो बनती है, वहीं से मतदाता अपना प्रतिनिधि विधान सभा में भेजते हैं। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ही पवित्र नहीं है, तो लोकतंत्र कभी पवित्र नहीं रह सकता। इसलिए हमने इस बिल के अंदर व्यवस्था की थी कि डिलिमिटेशन, न्यायिक डिलिमिटेशन फिर से किया जाएगा। सभी की सुनवाई हुई, डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू-कश्मीर में सब जगह पर गया। अंतिम जिले से लेकर पहले जिले तक, सब जगह घूमे। कई समुदायों के प्रतिनिधियों ने इनको आवदेन-पत्र दिए थे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए लोगों ने भी दिए थे और कश्मीर घाटी से भाग कर जम्मू में शरण लेने वाले लोगों ने तथा कश्मीर घाटी से भागकर देश भर में फैले हुए कश्मीरियों ने भी आवदेन दिए थे कि हमारे प्रतिनिधित्व का डिलिमिटेशन कमीशन संज्ञान लें।

> डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स (एसटी) के लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 16 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है

मुझे आनंद है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया। भारत के इलेक्शन कमिश्नर ने विधान सभा में दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सकें और ऑक्युपाइड कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान लेकर बैठा है, वहां से विस्थापितों लोगों में से एक व्यक्ति को नोमिनेट करना पड़ेगा। यह इसका एक भाग है। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था। नहीं, पहले नहीं मिलता था। पहले सिर्फ जरूरत लगे या प्रतिनिधित्व न हो, तो महिलाओं को दो सीट दी जाती थीं। तीन सीटें अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है, उसको बिल में परिवर्तित करके, कानूनीजामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।

दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए

इसमें से दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होंगी, जो घाटी से विस्थापित

हुए हैं और एक सीट पाक ऑक्युपाइड जम्मू-कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें से एक महिला का होना जरूरी है। इस प्रकार एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर आया हूं।

डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स (एसटी) के लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 16 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो नई स्कीम बनी है, जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, यह भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, अब 43 हुई हैं। कश्मीर में पहले 46 थीं, अब 47 हुई हैं और पाक आक्युपाइड कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वह हमारा है, हमने रिजर्व रखी हैं। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू-कश्मीर विधान सभा में थीं, अब 114 सीटें हुई हैं। पहले 2 नोमिनेटेड मैम्बर हुए करते थे, अब 5 नोमिनेटेड मैम्बर होंगे। जम्मू-कश्मीर के कानून के हिसाब से दो महिलाओं को उप राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से दो, जिसमें से एक महिला और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से एक नामांकन किया जाएगा।

> नरेन्द्र मोदी सरकार ने सत्तर साल से दर-दर की ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों-बहनों को न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए दो सीटों का रिज़र्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के यहां शरणार्थी बने हुए लोगों को रिज़र्वेशन दिया

यह इसलिए सम्भव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को यह ऐतिहासिक बिल नरेन्द्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसकी परमिशन दी, इसको मान्यता दी तथा अनुच्छेद-370 चला गया। डिलिमिटेशन कमीशन इसी का हिस्सा था।

सुरक्षा के परिदृश्य पर मैं बाद में बात करूंगा। ढेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यक्त की है। मैं भी चिंतित हूं, परन्तु क्या हुआ है, वह बताना मेरा फर्ज है। क्योंकि एक ओर से रिकॉर्ड पर चीजें आ गई हैं, तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा।

आज धारा-370 हटने के बाद क्या विकास हुआ, आतंकवाद तो अब भी चल रहा है, कश्मीरियत का कितना नुकसान हुआ, इन सारे सवालों के जवाब, मैं बहुत ही डिटेल में दूंगा। ये जो दोनों संशोधन हैं, आने वाले दिनों में इतिहास इस सदन के प्रयास को और इस सदन के आशीर्वाद को हर कश्मीरी, जो प्रताड़ित है, वह याद रखेगा, हर कश्मीरी, जो पिछड़ा है, वह इस बात को याद रखेगा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने सत्तर साल से दर-दर की ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों-बहनों को न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए दो सीटों का रिज़र्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के यहां शरणार्थी बने हुए लोगों को रिज़र्वेशन दिया। जो लोग डिप्राइव्ड थे, ऐसे कमजोर लोगों के लिए अपमानित करने वाले शब्द की जगह 'पिछड़ा वर्ग' का संवैधानिक शब्द इनके लिए रखकर आज यह बिल लाया गया है।

> आज 5,675 कश्मीरी विस्थापित परिवार रोज़गार पैकेज का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए छह हजार फ्लैट्स बनाने का प्रोजेक्ट था, जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह वर्ष 2015 से शुरू हुआ था अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लगभग 880 फ्लैट्स वहां बन गये हैं

इन्होंने क्या कहा? कई सदस्यों ने पूछा कि विस्थापितों के लिए क्या हुआ है? इनको रिज़र्वेशन देने से क्या होगा? उनको रिज़र्वेशन देने से उनकी आवाज़ कश्मीर की विधान सभा में गूंजेगी और यदि फिर से कोई ऐसी स्थिति करने जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वे उसको रोकेंगे क्योंकि वहां उनकी आवाज़ होगी।

5,675 कश्मीरी विस्थापित परिवार रोज़गार पैकेज का फायदा

इसके अलावा, आज 5,675 कश्मीरी विस्थापित परिवार रोज़गार पैकेज का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए छह हजार फ्लैट्स बनाने का प्रोजेक्ट था, जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह वर्ष 2015 से शुरू हुआ था अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लगभग 880 फ्लैट्स वहां बन गये हैं और उनको हैंडओवर करने की प्रक्रिया चालू है। इनकी ऑनलाइन शिकायत

संबंधी निवारण का पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण कानून, यहां पर कश्मीर के जो सांसद बैठे हैं, मैं उनको विशेष रूप से कहना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं— क्या हुआ, क्या हुआ, उनको मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं। जब आतंकवाद चालू हुआ, लोगों को निशाना बनाकर जब उनको वहां से भगाने का काम शुरू हुआ, तो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, शब्दों से सांत्वना देने वाले नेताओं को मैंने बहुत देखा है, मगर नरेन्द्र मोदी एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इनके आंसू सार्थक रूप से पोंछने का काम किया है।

हम उनकी पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वहां छोड़कर देश के विभिन्न हिस्सों में, बेंगलुरू, अहमदाबाद, दिल्ली और जम्मू में कैम्पों में रहे हैं, वे अपने स्तर से बहुत नीचे का जीवन जी रहे हैं। हम उनकी पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वे वहां से भागे, तो उनकी करोड़ों रुपए की सम्पत्ति किसी ने कब्जा ली। उनकी सम्पत्ति कब्जा लेने के बाद उनसे कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूं, वह ले लो। एक प्रकार से, औने-पौने दाम में करोड़ों रुपए की सम्पत्ति छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा रहा। इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया।

> श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रति व्यक्ति 3,250 रुपए कैश राहत के रूप में दिये जाते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 13 हजार रुपए प्रति परिवार है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो मासिक चीनी देने का काम हमारी सरकार करती है

1.6 लाख लोगों को अधिवास प्रमाणपत्र

हमने इसका रास्ता ढूंढ़ा। एक नया पोर्टल बनाया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वह वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। ये पूछते हैं क्या हुआ? क्या हुआ था, मैंने वह भी बताया और अब क्या हुआ है, मैंने वह भी बताया। लगभग 1.6 लाख लोगों को

अधिवास प्रमाणपत्र देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रति व्यक्ति 3,250 रुपए कैश राहत के रूप में दिये जाते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 13 हजार रुपए प्रति परिवार है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो मासिक चीनी देने का काम हमारी सरकार करती है।

पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो लोग आए थे, उनको एकमुश्त 5,50,000 रुपए एक साथ देने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। जो लोग कहते थे कि क्या हुआ? साहब, आप तो मूल से ही कटे हो। जब मूल के साथ संपर्क ही नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या बदलाव हुआ है? इंग्लैंड में वैकेशन करके जम्मू-कश्मीर के बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते।

एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। सहभागिता की बहुत एप्रोच बैकवर्ड क्लास कमीशन ने ली । हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकें कीं। 198 प्रतिनिधि मंडल और 16,000 लोगों की सुनवाई हुई। 750 दिन यह प्रकिया चली। सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर यह सुनवाई की गई। लगभग 26,000 से ज्यादा पोस्ट में मिली हुई लिखित अर्जियों को भी संज्ञान में ले लिया गया और जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, जो अभी आया है, उसमें से एक मूल तत्व, बाकी के दो बिल तो शेड्यूल ट्राइब डिपार्टमेंट और पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट लेकर आएंगे, मगर अभी एक तत्वतः पार किया है, बदलाव किया है। जो मूसदी साहब कह रहे थे कि पहले भी था। हां था, पहले भी था, परंतु कमजोर वर्गों के लिए था। इसकी जगह संवैधानिक नाम 'अन्य पिछड़ा वर्ग' देकर उनका सम्मान करने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

> **बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और बैकवर्ड क्लास को रोकने का काम किसी एक पार्टी ने किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है**

कांग्रेस ने किया बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध

यहां कांग्रेस के ढेर सारे मित्र बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास करते हैं। कुछ नेता होते हैं, जिनको कुछ लिखकर हाथ में पकड़ा

दो, तो छह महीने तक नया कागज न आए, तब भी वही बोलते रहते हैं— बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास। भाई, पहले अपना इतिहास तो देखो।

मैं ऐतिहासिक सत्य के साथ इस सदन के अंदर यह स्टेटमेंट देने में झिझक नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और बैकवर्ड क्लास को रोकने का काम किसी एक पार्टी ने किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है।

मैं आज इस पवित्र सदन के अंदर खड़े रहकर पूछना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 साल से संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्यों उनको यह सम्मान नहीं मिलता था? जबकि संविधान का यह मेनडेट था, मगर नहीं दिया गया। श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसको संवैधानिक मान्यता देने का काम किया।

> मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक, जब तक ये सत्ता के बाहर नहीं गए, तब तक लागू नहीं हुई और बाद में लागू हुई भी तो विपक्ष के नेता के नाते स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका विरोध किया

मैं आज इस सदन के अंदर पूछना चाहता हूं कि जो आम सभाओं में बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास करते घूमते हैं, मैं फिर से कहता हूं कि उनको मालूम नहीं है कि उनकी पार्टी ने क्या किया है? किसने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट रोककर रखी, वह जवाब देना चाहिए। देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक, जब तक ये सत्ता के बाहर नहीं गए, तब तक लागू नहीं हुई और बाद में लागू हुई भी तो विपक्ष के नेता के नाते स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका विरोध किया। आज ये बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं? सेंट्रल एडमिशन स्कीम के अंदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं किया। केवल और केवल श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया। सैनिक स्कूलों में भी दिया जाता है, नीट के अंदर भी दिया जाता है और सेंट्रल स्कूल्स के अंदर भी पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए सम्मान के साथ पढ़ने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है।

आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मिला 10 प्रतिशत का आरक्षण

आप इनको बैठा दीजिए। अब तक ये डिप्राइव्ड लोगों की बात करते हैं। अब तक ईडब्ल्यूएस – इकोनॉमिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात कभी नहीं सोची गई। पहली बार श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अनारक्षित जातियों के गरीब बच्चों को दस प्रतिशत रिजर्वेशन देने का काम किया।

आज यह नामकरण में भिन्नता से क्या होता है, यह इनको मालूम नहीं है। इनको मालूम नहीं है। मानो मेरी मां का नाम कुसुम है, मैं उनको कुसुम बोलता हूं और मां कहता हूं, दोनों के बीच में कितना अंतर है, यह मां को ही मालूम पड़ता है और किसी को मालूम नहीं पड़ता है। नाम तो वही है, व्यक्ति वही है, मगर किस भाव से बुलाया जाता है, जब बच्चा मां कहकर बुलाता है तो जो प्यार, स्नेह और वात्सल्य आता है, वह मां कहने से ही आता है, नाम से नहीं आता है। ये यह नहीं समझ पाएंगे। यह भाषा का सुधार नहीं है, यह कॉन्सेप्ट का सुधार है, नजरिये का सुझाव है और देखने के दृष्टिकोण का सुझाव है, जो नरेन्द्र मोदी सरकार कर रही है।

> देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश में लाए हुए सैंकड़ों सकारात्मक, परिवर्तनकारी, प्रगतिशील परिवर्तनों की कड़ी में एक और मोती जोड़ने का काम यह विधेयक करेगा

यह विधेयक नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश में लाए हुए सैंकड़ों सकारात्मक, परिवर्तनकारी, प्रगतिशील परिवर्तनों की कड़ी में एक और मोती जोड़ने का काम यह विधेयक करेगा। इसीलिए, मैं आज इस सदन से आशीर्वाद मांगने आया हूं।

कुछ सदस्यों ने वाद के अंदर कुछ कानूनी और संवैधानिक मुद्दे खड़े कर दिए। पहले एक मोरल बात लाए कि जिस कानून के अंदर आप अमेंडमेंट लेकर आए हो, वह कानून ही कोर्ट के सामने चैलेंज में है। मसूदी साहब तो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, विद्वान न्यायाधीश रहे हैं। अधिवक्ता अच्छे ही होंगे, तभी तो जज बने होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं कि धारा-370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही। क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी

तो धारा-370 को क्यों नहीं रोका गया? आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही हैं। फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूं, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो, इस पर स्टे मांगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई करके स्टे देने से इनकार किया। मैं बहुत जवाबदेही के साथ यहां बोल रहा हूं। कोई स्टे नहीं है।

उसके बाद मनीष तिवारी जी के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 3 में कहीं पर भी यूटी का प्रावधान नहीं है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात माननीय सदस्य ने कही है। मैं अनुच्छेद 3 को इस सदन में पढ़ना चाहता हूं— 'नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन' यह अनुच्छेद की मूल बात है। इसके अंदर आगे 'क - किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण देश की संसद कर पाएगी।' मनीष जी ने कहा कि यूटी नहीं है, यूटी का इसमें प्रोविजन नहीं है। शायद उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है या जानबूझ कर आगे सदन को बताया नहीं। आर्टिकल 3 के नीचे ही स्पष्टीकरण है। इस अनुच्छेद के खंड 'क' से 'ड' में, जिसमें सारी चीजें आती हैं— 'राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र समाहित है।' वहां राज्य का मतलब संघ राज्य क्षेत्र अपने आप हो जाता है। मैं मनीष जी को थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि इतना बड़ा गैर कानूनी काम कम से कम नरेन्द्र मोदी सरकार नहीं कर सकती है। यह कोई इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है, जो इस प्रकार के कानून लेकर आए।

मनीष जी ने कहा कि यूटी नहीं है, यूटी का इसमें प्रोविजन नहीं है। शायद उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है या जानबूझ कर आगे सदन को बताया नहीं। आर्टिकल 3 के नीचे ही स्पष्टीकरण है। इस अनुच्छेद के खंड 'क' से 'ड' में, जिसमें सारी चीजें आती हैं— 'राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र समाहित है

बाद में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 के परन्तुक को निलम्बित करके राष्ट्रपति शासन लगाया, क्योंकि यह प्री-डिजाइन था। मेरे पास लिस्ट है।

आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन वर्ष 1973 में लगा, हम नहीं थे। कांग्रेस की सरकार थी, परन्तुक निलम्बित किया गया था। अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, परन्तुक निलम्बित किया गया, वर्ष 1981 में आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार थी, परन्तुक निलम्बित किया गया था। वर्ष 1990 में भी परन्तुक निलम्बित किया गया था। बिहार में वर्ष 1969 कांग्रेस की सरकार थी, परन्तुक निलम्बित किया गया था। वर्ष 1972 परन्तुक निलम्बित किया गया था। वर्ष 1977 परन्तुक निलम्बित किया गया था। फिर गोवा, वर्ष 1990 परन्तुक निलम्बित किया गया था। मेरे पास लगभग-लगभग 27 राज्यों के 50 से ज्यादा आंकड़े हैं। एक भी राज्य में परन्तुक निलम्बित किए बिना राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है।

ढेर सारे सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की चिंता का जिक्र किया। वे चिंतित भी थे। यह अच्छी बात है कि चिंता हो रही है, यह होनी भी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। उन्होंने सीधा-सीधा इसे आर्टिकल-370 के निरस्त करने से जोड़ा। उन्होंने कहा, क्या हुआ, अभी भी आतंकवाद चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले सेना के कुछ जवान शहीद हो गए।

वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक मनमोहन जी और सोनिया जी के शासन का समय था। इस दौरान आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुईं। नरेन्द्र मोदी सरकार में, वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2023 तक ये सिर्फ 2,000 हुईं

धारा-370 के कारण खड़ी हुई अलगाववाद की भावना

मैंने कहा था कि आतंकवाद का मूल कारण आर्टिकल-370 के कारण खड़ी हुई अलगाववाद की भावना है, आर्टिकल-370 के जाने से अलगाववाद में बहुत बड़ी कमी आने वाली है और इसके कारण आतंकवादी भावनाओं में कमी आएगी। अधीर रंजन जी, यह तो रिकॉर्ड की बात है।

अब मैं वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 2004 के कालखण्ड के बारे में बताता हूं। इसमें किसका शासन था, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं कालखण्ड के बारे में बता रहा हूं। इसके बीच कई शासन आए हैं। इस दौरान आतंकवाद की

कुल घटनाएं 40,364 हुईं। इसमें छोटी-छोटी घटनाएं भी हैं और कुछ बड़ी घटनाएं भी हैं। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक मनमोहन जी और सोनिया जी के शासन का समय था। इस दौरान आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुईं। नरेन्द्र मोदी सरकार में, वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2023 तक ये सिर्फ 2,000 हुईं। इनमें 70 प्रतिशत की कमी आई है। इसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये जो 2,197 हुई हैं, इसमें 45 प्रतिशत घटनाएं पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई के कारण घटित हुई हैं। इसका मतलब कि अगर यह सूचना मिलती है कि वहां आतंकवादी छिपा है, पुलिस उस पर हमला करती है, तब भी वह आतंकवादी मुठभेड़ माना जाता है। वर्ष 2004-2014 की तुलना में वर्ष 2014- 2023 में 70 प्रतिशत की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु के अन्दर 81 प्रतिशत की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेज़ की मृत्यु में 48 प्रतिशत की कमी नरेन्द्र मोदी सरकार में आई है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था कि अलगाववाद की भावना का मूल उसका उद्भव स्थान आर्टिकल-370 है, अगर वह जाएगा तो अलगाववाद की भावना ओवर-ए-पीरियड-ऑफ-टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म होगा।

> सीज़फायर के वायलेशन की घटना वर्ष 2010 में 70 थीं, वहीं वर्ष 2023 में 6 ही घटनाएं हुई हैं। घुसपैठ के प्रयास की घटनाएं वर्ष 2010 में 489 थीं, वहीं वर्ष 2023 में सिर्फ 48 ही हैं

वर्ष 2023 में एक भी पथराव की नहीं हुई घटना

कल पथराव की बात हुई। मैंने दो साल लिए हैं। वर्ष 2010 में 2654 पथराव की घटनाएं हुई थीं, वर्ष 2023 में यह ज़ीरो थी। एक भी पथराव की घटना नहीं हुई। जो ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल होती थी, जो कॉल देकर होती थी, पाकिस्तान से उनके आका कॉल देते थे और कश्मीर घाटी और जम्मू में बंद हो जाता था। वर्ष 2010 में ऐसी 132 ऑर्गेनाइज्ड हड़तालें हुई थीं और वर्ष 2023 में एक भी हड़ताल नहीं हुई, एक भी बंद नहीं हुआ।

वर्ष 2010 में पथराव में नागरिकों की मृत्यु 112 हुई थीं, वर्ष 2023 में

चूंकि पथराव ही नहीं हुआ है, तो इससे कोई भी इन्जर्ड नहीं हुआ, कोई भी मृत्यु नहीं हुई।

पथराव में नागरिकों की मृत्यु वर्ष 2010 में 112 हुई थीं, तथा 2023 में, चूंकि पथराव नहीं हुआ है तो no injured, no deaths. सिक्योरिटी फोर्सेज़ के कर्मचारी, पथराव के कारण 6,235 लोग इंजर्ड हुए थे, चूंकि पथराव ही नहीं हुआ है तो ज़ीरो इंजर्ड है। क्या बदलाव हुआ है? इनको मैं कहता हूं कि यह बदलाव हुआ है। अरे! इसी सदन में रह कर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर अनुच्छेद-370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा कहते थे। खून की नदियां तो छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है।

2010 में 489 बार घुसपैठ की कोशिश हुई, जबकि 2023 में सिर्फ 48

सीज़फायर के वायलेशन की घटना वर्ष 2010 में 70 थीं, वहीं वर्ष 2023 में 6 ही घटनाएं हुई हैं। घुसपैठ के प्रयास की घटनाएं वर्ष 2010 में 489 थीं, वहीं वर्ष 2023 में सिर्फ 48 ही हैं। वहीं वर्ष 2010 में 112 आतंकवादी मारे गए थे। कुल मिलाकर एवरेज़ निकाल दें तो 278 आतंकवादी मारे गए हैं।

> कम्पलीट एरिया डोमिनेशन का प्लान बनाया है, वह भी वर्ष 2026 तक समाप्त हो जाएगा और पहले सिर्फ टेररिस्टों को मारते थे, हमने इसके ईको-सिस्टम को खत्म किया है

पहले 18 वापस लौटे थे, अब 281 लोग पाकिस्तान लौट गए हैं। यह सब ऐसे ही नहीं हुआ है। जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा और उनको जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अथाह परिश्रम किया है।

गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यू करता है और हर 3 माह में मैं वहां जा कर सिक्योरिटी रिव्यू करता हूं।

एक 'जीरो-टेरर प्लान' बनाया गया है, जिसको हमने इम्प्लिमेंटेशन में लाया है। 3 सालों से वह प्लान एक्शन में है। मुझे पूरा भरोसा है कि वर्ष

2024 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। वर्ष 2026 आते-आते जीरो टेरर प्लान 100 प्रतिशत लागू होगा।

इसके साथ-साथ कम्पलीट एरिया डोमिनेशन का प्लान बनाया है, वह भी वर्ष 2026 तक समाप्त हो जाएगा और पहले सिर्फ टेररिस्टों को मारते थे, हमने इसके ईको-सिस्टम को खत्म किया है। इसके साथ-साथ टेरर फाइनेंस पर इको सिस्टम को खत्म करने के लिए केस किए हैं। एनआईए ने 32 केस किए हैं, जिसमें कुछ पार्टियां बड़ा अरण्यरोदन कर रही हैं, हाय-तौबा कर रही हैं कि क्यों केस हो रहे हैं - क्यों केस हो रहे हैं। केस इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है और यह परमिटेड नहीं है। यह नरेन्द्र मोदी सरकार है, यह नहीं चलेगा। एनआईए के द्वारा 32 केस हुए, एसआईए द्वारा 51 केस हुए। 83 केस टेरर फण्डिंग और फाइनेंस के हुए हैं। लगभग-लगभग 229 अरेस्ट हुए हैं। 150 करोड़ रुपये मूल्य की 57 प्रापर्टीज़ को सीज़ कर के नीलामी के लिए कोर्ट के सामने दस्तावेज़ उपलब्ध किए गए हैं। 134 बैंक अकाउंट्स सील किए गए हैं, जिसमें 1.22 करोड़ रुपये सीज़ हुए हैं और साढ़े 5 करोड़ रुपये कैश सीज़ हुए हैं। ये लोग कहते थे कि क्या फर्क पड़ा है? अब्दुल्ला साहब यहां बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला, साहब जब आपने मुख्यमंत्री पद छोड़ा, तब से लेकर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब तक, 2019 तक जम्मू-कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। यह पूरे देश को मालूम ही नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में सिनेमा के थिएटर चलते ही नहीं थे। अनुच्छेद-370 खत्म होने के बाद वर्ष 2021 में जम्मू-कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ और वह भी 30 सालों के बाद हुआ। ये लोग पूछते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपियां, बारामुला, हंदवाड़ा में चार नए थिएटर खुले हैं। 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू हो गई। जो फारुख साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में किसी ने नहीं देखा होगा, अब शूटिंग शुरू हो गई है। अब

अनुच्छेद-370 खत्म होने के बाद वर्ष 2021 में जम्मू-कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ और वह भी 30 सालों के बाद हुआ

लगभग-लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन्स के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग पड़े हैं। ये सब इंडिकेटर्स हैं। थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी। मुझे बताओ कि क्यों बंद करने पड़े थे?

ऐसा तो है नहीं कि जम्मू-कश्मीर में कोई पिक्चर देखना नहीं चाहता है। वहां आराम से पिक्चर देखे जाते थे, मगर थियेटर बंद करने पड़े थे।

45,000 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदार धारा-370

ऐसा कहते थे कि क्या हुआ था कि आर्टिकल-370 खत्म करना पड़ा। 45 हजार लोगों की मृत्यु हुई। मैं मानता हूं कि 45 हजार लोगों के मृत्यु की जिम्मेदार यह आर्टिकल-370 थी, जिसे नरेन्द्र मोदी ने उखाड़कर फेंक दिया।

ढेर सारे परिवर्तन हुए। जो पूछते हैं कि क्या हुआ, मैं इसका जवाब देने के लिए खड़ा हूं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पहले एक अलग संविधान, अलग ध्वज और एक जमाने में दो अलग-अलग राजधानियां हुआ करती थीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस उद्देश्य के लिए जान दे दी, कुछ सदस्यों ने इसको पोलिटिकल नारा कहा, लेकिन यह पोलिटिकल नारा नहीं, बल्कि इस देश की इच्छा है। इस देश में दो संविधान न हों, दो प्रधानमंत्री न हों, दो झंडे न हों - देश का झंडा, देश का निशान एक ही होना चाहिए। एक ही निशान के तले पूरा देश होना चाहिए। कुछ सदस्यों ने कहा कि हमसे वादा किया गया था, लेकिन वादा किससे किया था? अंग्रेजों ने जो स्कीम बनाई थी, आजादी के वक्त कांग्रेस ने जिस स्कीम को अप्रूव किया, उसमें पूरा अधिकार महाराजा का था। देश भर में कहीं तो पब्लिक को नहीं पूछा गया, तो क्यों जम्मू-कश्मीर में पूछना? मैं वादे की भी बात करता हूं। चलो, हम मान लेते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने वादा किया था, मगर आप आधा-अधूरा पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल-370 के ऊपर टेम्परेरी प्रोविजन लिखा

> तिरंगा फहराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आज हर घर तिरंगा फहर रहा है। घाटी का एक भी घर ऐसा नहीं था, जहां पर तिरंगा न फहराए गया हो

गया था। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, क्या आजीवन अधिकार होता है? ना जी, यह कब का जाना चाहिए था, इसके लिए हिम्मत नहीं थी। नरेन्द्र मोदी जी ने हिम्मत की और आर्टिकल-370 को समाप्त किया। कोई वादाखिलाफी नहीं है। संविधान का स्पिरिट था कि आर्टिकल-370 टेम्परेरी है। इस टेम्परेरी का दिन ही नहीं आता था। मोदी जी ने पांच अगस्त को वह दिन ला दिया और जो टेम्परेरी था, वह चला गया।

पहली बार कश्मीरी, डोगरी, हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू राज्य की अधिकारिक भाषाएं बनाई गई।

जब उसकी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा। राइट टू एजूकेशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 रोक कर रखे गए थे। ये सभी अब लागू हो गए हैं। वहां की असेम्बली 6 साल की बनाकर रखी थी, अब वह भी पांच साल की हो गई। कई बड़े बदलाव हुए हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना में 70 सालों में 24 हजार घर दिए गए थे, इन पांच सालों में 1 लाख 45 हजार लोगों को घर देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया

आज हर घर फहर रहा तिरंगा

मैं आज कहना चाहता हूं कि हम भी लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए गए थे, लेकिन रोक दिया गया था। मोदी जी और हमारे उस वक्त के अध्यक्ष मुरली मनोहर जी गए और लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आज हर घर तिरंगा फहर रहा है। घाटी का एक भी घर ऐसा नहीं था, जहां पर तिरंगा न फहराए गया हो।

यह बदलाव हुआ है। आज लाल चौक पर सारे धर्मों के त्योहारों को मनाया जाता है और सारे धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। संविधान की स्पिरिट को अब नीचे उतारा गया है। जो पूछते हैं कि क्या हुआ, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं।

सिर्फ 5 साल में राज्य की दुगुनी आय

मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। जब आर्टिकल-370 गया, उसके पहले जीएसडीपी सिर्फ एक लाख 64 करोड़ रुपये थी। आज 2,27,927 करोड़ रुपये की जीएसडीपी है। सिर्फ पांच साल में डबल हो गया। रोजगारी ढेर सारी बढ़ी है। पहले 94 डिग्री कॉलेजेज थे, अब 147 हो गए। आईआईटी, आईआईएम और दो एम्स बनाए गए। जो सबसे पहला ऐसा राज्य है, जहां दो एम्स दिए गए, वह हमारा जम्मू-कश्मीर है। 70 साल में चार मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब सात नए मेडिकल कॉलेजेज बनाए गए। 15 नर्सेस कॉलेज बनाए गए। मेडिकल सीट्स 500 थी, अब नई 800 सीट्स जोड़ने का काम आर्टिकल-370 जाने के बाद हुआ है। 367 पीजी की सीट्स थी, उनमें नई 297 सीट्स जोड़ने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

मिड-डे-मील लगभग 6 लाख लोगों को मिलता था, अब 9 लाख 13 हजार लोगों को मिड-डे-मील मिलता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एवरेज 1158 किलोमीटर थी, अब यह 8 हजार 68 किलोमीटर चार साल में हो गई। जो पूछते हैं कि क्या हुआ है, उनको मैं बताता हूं।

स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी 2 लाख से बढ़कर 60 लाख तक पहुंची है, क्योंकि अब खेल हो सकते हैं। पेंशन के लाभार्थी 6 लाख से 10 लाख तक पहुंचे हैं

स्मार्ट सिटी मिशन पहले था ही नहीं। अब 173 काम हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 70 सालों में 24 हजार घर दिए गए थे, इन पांच सालों में 1 लाख 45 हजार लोगों को घर देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। 75 सालों में 4 पीढ़ियों को, 7 लाख 82 हजार लोगों को पीने का पानी पहुंचा चुके थे, अब नये 13 लाख परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

शिशु मृत्यु दर 22 थी, वह कम होकर 16.30 पर लाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। पहले 47 जन औषधि केन्द्र थे, उसकी जगह 227 जनऔषधि केन्द्रों पर आज सस्ती दवाइयां वहां पांच सालों में मिल रही हैं।

स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी 2 लाख से बढ़कर 60 लाख तक पहुंची

है, क्योंकि अब खेल हो सकते हैं। पेंशन के लाभार्थी 6 लाख से 10 लाख तक पहुंचे हैं। यह सारा परिवर्तन केवल और केवल नरेन्द्र मोदी सरकार ने आर्टिकल-370 जाने के बाद किया है। जो राष्ट्रपति शासन को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनको बताता हूं। दादा, आप कई बार बंगाल में पहुंच जाते हैं। आप यहां बैठे हुए हैं। आर्टिकल-370 जाने के कारण आतंकवाद घटा है। आतंकवाद कम होने के कारण वहां अच्छा वातावरण तैयार हुआ है, इसी के कारण यह सब डेवलपमेंट हुआ है, वरना आईआईएम न होता, न एम्स होता और कुछ न होता। आप नहीं समझ पायेंगे। जब हमारी सरकार बंगाल में आयेगी, वातावरण सुधरेगा और विकास होगा, तब मालूम होगा कि क्या परिवर्तन हुआ।

काश सीजफायर होता तीन दिन लेट

यहां से किसी सदस्य ने कहा, एक शब्द प्रयोग पर बहुत बड़ी आपत्ति की। मैं वह शब्द प्रयोग का अनुमोदन करने के लिए आज अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं उस शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूं। वह शब्द प्रयोग था 'नेहरूवियन ब्लंडर', नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं इस सदन में खड़ा होकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में हुई, उनके लिये गये निर्णयों से हुईं, जिसके कारण सालों तक कश्मीर को सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज़ फायर कर दिया गया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज़फायर तीन दिन लेट होता, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता।

> अगर सीज़फायर तीन दिन लेट होता, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता

मैं सिर्फ दो संदर्भ बताना चाहता हूं, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीजफायर कर लिया और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यह एक पत्र का हिस्सा है।

"मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके यूनाइटेड नेशन्स के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा (सीजफायर)। लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटाया गया, हम सीजफायर पर विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमारे द्वारा की गई गलती है।"

इसमें आपत्ति है? आप नहीं आपत्ति कर सकते हैं, स्वयं जवाहर लाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो, नेहरू जी ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जवाहर लाल नेहरू कलेक्शन जेएनएसजी 143 के अंदर स्वयं जवाहर लाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र है कि मेरी गलती थी। मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूं।

> पिछड़ा वर्ग की जब-जब बात आती है, कांग्रेस कभी सहयोग नहीं करती है, सदन छोड़कर चली जाती है

यह नेहरू जी ने लिखा है, समझते नहीं हैं। अनुवाद हो या नहीं हो रहा है। यह नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूं, ये क्यों गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए। यह उनका कोट है, ये मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है।

ये ख्वामख्वाह मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, मैंने जो कहा है वह नेहरू जी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला जी को लिखा था। आपको गुस्सा होना है तो जवाहर लाल नेहरू जी पर होना चाहिए।

मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले जाना ही नहीं चाहिए था

जब यूएन में मामला भेजना था, तब भी निर्णय बहुत आनन-फानन में लिया गया। मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 की जगह 51 के तहत ले जाना चाहिए था। मेरा तो मत है कि ले जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ले जाना था तो अनुच्छेद 51 के तहत ले जाना था, लेकिन

इसकी जगह अनुच्छेद 35 में ले गए। कई लोगों के रिकॉर्ड पर सलाह देने के बाद भी निर्णय कर दिया गया कि अनुच्छेद 35 के तहत ले जाएंगे।

मैं तो इस देश की भाषा बोलता हूं। इस देश की भाषा तमिल भी है, बंगाली भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है, कन्नड़ भी है, तेलुगू भी है, गुजराती भी तो कोई बोल सकता है। आप तमिल में भी बोल सकते हैं, मगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो आप अनुवाद ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैंने जो कुछ पढ़ा वह जवाहर लाल नेहरू जी ने लिखा है और नेहरू जी ने उसे थोड़ा कम करके लिखा है कि यह मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वह ब्लंडर था।

केवल जल विद्युत के अंदर इतना सारा पैसा इन 10 सालों में इनवेस्ट हुआ है। पहली बार 1600 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी वहां पर प्रोजेक्ट डाला गया है। 30 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण हुआ है। 467 किमी नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं

एक और क्षेत्र में ब्लंडर शब्द का प्रयोग किया गया है। वह भी जवाहर लाल नेहरू जी के क्षेत्र में है, जो हिमालयन ब्लंडर है।

हमारी ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए मेरे साथी मंत्री जी ने कहा कि अमित भाई, उन्होंने सुबह आपको बताया था कि चले जाएंगे। यह आप पहले से ही कहते थे। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरी ऐसी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड कभी होती नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि पिछड़ा वर्ग की जब-जब बात आती है, कांग्रेस कभी सहयोग नहीं करती है, सदन छोड़कर चली जाती है। मुझे यहां तक विश्वास था कि पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने की बात पर कांग्रेस वोट दे ही नहीं सकती है। वोट देने की न उनको परमिशन है, न उनको मेनडेट है, न उनकी इच्छा है, इसलिए वे चले गए।

सिर्फ जम्मू-कश्मीर में 32 परियोजनाएं पूरी

प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2015 में 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से 63 परियोजनाएं लागू कीं। 70 सालों तक कश्मीर को इग्नोर किया गया और

समग्रता से कश्मीर के विकास के लिए बिजली, इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, इरीगेशन, एजुकेशन, मेडिकल सुविधाएं, इन सभी चीजों को समाहित करते हुए 63 परियोजनाएं 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाई। इसमें 21 हजार करोड़ रुपये की लगभग 9 परियोजनाएं लद्दाख की थीं, जो अलग यूटी में चली गई, परन्तु जम्मू-कश्मीर की यदि बात करें, तो 58 हजार 477 करोड़ रुपये की 32 परियोजनाएं लगभग पूरी हो गई हैं और 58 हजार करोड़ रुपये में से 45 हजार 8 सौ करोड़ रुपये का व्यय हो गया है। वे कह रहे हैं कि इसके लिए क्या हुआ?

मैं कुछ योजनाओं का नाम जरूर पढ़ना चाहूंगा। 5 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखकर 4 हजार 287 करोड़ रुपये की 624 मेगावाट की कीरू हाइड्रो परियोजना, 5 हजार करोड़ रुपये की 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो परियोजना, 5 हजार दो सौ करोड़ रुपये की 850 मेगावाट की रतले हाइड्रो परियोजना, 8 हजार एक सौ बारह करोड़ रुपये की 1 हजार मेगावाट की दूल हाइड्रो परियोजना, 2 हजार 3 सौ करोड़ रुपये की 1856 मेगावाट की सावलकोट हाइड्रो परियोजना और 2 हजार 793 करोड़ रुपये की शाहपुर कंडी बांध सिंचाई और बिजली परियोजना।

पूरे देश में सरकार सिर्फ गरीब व्यक्तियों का पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य का पूरा खर्च उठाती है। आज जम्मू-कश्मीर में सभी व्यक्तियों का पांच लाख का पूरा खर्च सरकार उठा रही है

केवल जल विद्युत के अंदर इतना सारा पैसा इन 10 सालों में इनवेस्ट हुआ है। पहली बार 1600 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी वहां पर प्रोजेक्ट डाला गया है। 30 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण हुआ है। 467 किमी नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं। 266 उप स्टेशनों को बनाया गया है और 11 हजार सर्किट किमी की एचटी और एलटी लाइनों को बिछाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। सिंचाई का जहां तक सवाल है, 62 करोड़ की रावी नहर योजना पूरी कर ली गई है। 45 करोड़ रुपये की त्राल सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। झेलम और सहायक नदियों के

बाढ़ प्रबंधन के लिए 399 करोड़ रुपये के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया है। 1623 करोड़ रुपये का दूसरे चरण का काम चल रहा है और चरण एक का काम पूरा होकर 31 हजार 8 सौ क्यूसेक से बढ़कर 41 हजार क्यूसेक के करीब परिवहन की क्षमता आज हो गई है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना भी पूरी हो गई है। जम्मू प्रांत की प्रमुख नहरों से 3 पीढ़ियों से गाद नहीं निकाली गई थी। 59 दिनों में ही राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गाद निकालने का काम 70 सालों के बाद पूरा हुआ है। रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है। 3 हजार 127 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 8.45 किलोमीटर लंबी काजीगुंड बनिहाल सुरंग का निर्माण हो गया है।

ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी 8000 किमी नई सड़कें

लगभग 8 हजार किलोमीटर नये रोड ग्रामीण सड़क योजना के तहत बने हैं। जम्मू-कश्मीर के 10 सिल्क को जीआई टैग मिला है। डोडा के गुच्छी मशरूम को भी जीआई टैग मिला है। आर एस पुरा के बासमती चावल को जैविक प्रमाण-पत्र जारी किया गया और समग्र कृषि विकास के लिए 5 हजार 13 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। पूरे देश में सरकार सिर्फ गरीब व्यक्तियों का पांच लाख रुपये तक स्वास्थ्य का पूरा खर्च उठाती है। आज जम्मू-कश्मीर में सभी व्यक्तियों का पांच लाख का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। हमने बहुत रुचिता और संवेदनशीलता के साथ जम्मू-कश्मीर को संभालने का काम किया है। जो लोग कह रहे थे कि क्या हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद अंतिम पर्यटक 14 लाख थे। अब वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर में भ्रमण किया। जून, 2023 तक एक करोड़ का रिकॉर्ड समाप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि दो करोड़ का भाजपा सरकार, नरेन्द्र मोदी सरकार का रिकॉर्ड भी नरेन्द्र मोदी सरकार ही समाप्त करेगी। इसी दिसम्बर में यह रिकॉर्ड टूटेगा। जम्मू-कश्मीर एक ऐसा गंतव्य स्थान बना है, जिसका वातावरण प्राकृतिक है, मानांक वैश्विक है, दृष्टिकोण आधुनिक है, आतिथ्य पारंपरिक है और अनुभव में मनोरंजन तथा रोमांच दोनों है, इस प्रकार का एक पर्यटक स्थल आज बना है। होम स्टे और फिल्म की नीति बनी है। हाउस बोट के लिए भी एक पॉलिसी बनाने का काम

किया गया है। जम्मू रोपवे परियोजना 75 करोड़ रुपये खर्च करके पूरी कर ली गई है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पूरी कर ली गई है।

फारूख साहब फिर से आए हैं, इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में गरीबों को ही पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य का पूरा खर्च नरेन्द्र मोदी सरकार उठाती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में सभी लोगों का पांच लाख रुपये का खर्च उठाती है।

मैं जो बिल लेकर आया हूं, वह सालों से, जो अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि और अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए थे, वैसे लोगों को अधिकार देने का बिल है। जिनका देश ही छूट गया, वैसे लोगों को अधिकार देने का बिल है। जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे, वैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का यह बिल है।

अतः मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरी पार्टी का जरूर विरोध कीजिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी कीजिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी कीजिए, मगर बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है, कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग और जो विस्थापित लोग हैं, उनकी ओर देखते हुए इस बिल का समर्थन कीजिए और इसको सर्वानुमति से पास कीजिए।

❑❑❑

राज्यसभा

'आतंकवाद मुक्त कश्मीर बनने की शुरुआत हा गई है'

केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 11 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा का उत्तर दिया।

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 को चर्चा के बाद राज्यसभा ने पारित कर दिया

सभापति महोदय आज मैं इस महान सदन के सामने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023, इन दोनों विधेयकों को कानून बनाने के लिए इस सदन का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

आज ये दो बिल पारित भी होंगे, इसलिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन जम्मू-कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी स्वर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा-370 को समाप्त करने का और जम्मू-कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त, 2019 को इस सदन में - मोदी जी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुमोदन से लेकर आया था, उस बिल को, बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार करना और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, स्वीकार किया है।

बहुत सारे सवाल परसों तक उठाये गये। परसों भी लोक सभा में कहा गया कि यह बिल अभी लंबित है, क्यों जल्दबाजी में ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा, आपको राह देखनी चाहिए। ये सारे स्टैंड जो थे, वे न्याय के लिए नहीं थे,

नरेन्द्र मोदी जी ने जो निर्णय किया था, उस निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर लिया और ढेर सारी चीज़ों को, जिनको भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनैतिक बातें कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमलीजामा पहना दिया है। न्यायालय ने माना कि जम्मू-कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो कि हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है, इस बात को स्वीकार किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा धारा-370 एक अस्थायी प्रावधान

न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद-370 एक अस्थाई प्रावधान था, इसमें कोई शंका, कुशंका नहीं है। यह संवैधानिक सत्य है कि धारा-370 अस्थाई समाधान है। यह कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक हैं, अनुयायी हैं, उनको भी पसंद नहीं आता है, जो हम कहते हैं। मगर मैं उनसे बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं कि अगर धारा-370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है, जिसके सामने temporary शब्द का उपयोग किया गया, वह स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा?

अगर धारा-370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है, जिसके सामने temporary शब्द का उपयोग किया गया, वह स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा?

जो लोग ऐसा कहते हैं कि धारा-370 परमानेंट है, वे संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है— यह जो कहा गया है कि धारा-370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि याचिकाकर्ता का यह दावा कि धारा-370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता, वह सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से

खारिज़ कर दिया है। संविधान को और देश की संसद के सदनों को धारा-370 हटाने का पूरा अधिकार है।

न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणाएं हुईं, उन पर भी ढेर सारे सवाल उठाए गए कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया, राज्यपाल शासन गलत तरीके से लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है, यह पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत है। अनुच्छेद-370 (3) में जो प्रावधान है, वह संविधान सभा ने ही तय किया है। जब इस प्रोविज़न को टेम्पररी किया गया, तब सवाल यह आया कि टेम्पररी है, तो हटेगा कैसे? धारा-370 (3) के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि सीओ से राष्ट्रपति महोदय धारा-370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी का जो आदेश था, तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त, 2019 का जो आदेश सीओ था, उसके माध्यम से राष्ट्रपति को अनुच्छेद-370 का संचालन बंद करने का पूर्ण अधिकार है - आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सर्वानुमति से होल्ड कर दिया है, उस पर मुहर लगाई है। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने एक तर्क दिया था। याचिकाकर्ता कौन हैं— वह सभी लोग जानते हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। नाम लेकर क्या करेंगे, वे तो यहां बोले ही हैं, इसलिए इसमें एक्सपोज़ करने जैसी कोई बात नहीं है। धारा-370 के तहत कोई भी घोषणा करने से पहले जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की परमिशन जरूरी है, अनुमोदन जरूरी है – यह उनका क्लेम था। वे उस क्लेम को एक्सटेंड करते हुए आगे ले गए, क्योंकि अब तो जम्मू-कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं, इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा की परमिशन के बगैर धारा-370 (3) के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और संविधान सभा समाप्त हो गई है, इसलिए धारा-370

याचिकाकर्ता का यह दावा कि धारा-370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता, वह सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज़ कर दिया है। संविधान को और देश की संसद के सदनों को धारा-370 हटाने का पूरा अधिकार है

परमानेंट हो गई है। ऐसा आर्ग्युमेंट मैंने अपने जीवन में शायद ही देखा हो। मैंने अपने पांच धाराशास्त्रियों से पूछा कि मेरी समझ में कोई गड़बड़ है या यह डिमांड गड़बड़ है? यह लगा कि डिमांड तो गड़बड़ है ही, लेकिन जो आर्ग्यू कर रहे हैं, उनकी समझ में भी प्रॉब्लम है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा-370 (3) समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि धारा-370 (3) यथावत रहती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं

न्यायालय ने यह भी माना कि धारा-370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एकतरफा सूचना जारी कर सकते हैं, जिसका संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए— सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी मान लिया है। जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सी.ओ. ठीक नहीं है, आज उसका जवाब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। उपयुक्त बिंदुओं का सी.ओ. 272 पर कोई प्रभाव नहीं है, यह भी सिद्ध करते हुए अनुच्छेद-371(1) (डी) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है।

> सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि चूंकि जब धारा-370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू-कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया है

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि चूंकि जब धारा-370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू-कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया है। बहुत सारे लोग, चूंकि अब इसमें तो इतना सारा लुट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए, तो एक पूंछ पकड़ कर वे बाइट देते हैं। वे क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग को आर्डर कर दिया। क्या आर्डर कर दिया, मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है! इसी सदन में कहा है, लोक सभा

में कहा है। ऐज़ ए गृह मंत्री, ऑन रिकॉर्ड कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य का स्टेटस वापस देंगे, तो यह भी मैंने कहा है कि एप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापस देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह जो कहा है, उसमें मेरे सदन के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को क्वोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए कि इसमें विजय कहां से हुई है? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढ़ना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले। इतने बड़े घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढ़ना! साथ-साथ इसका कोई अभ्यास और हिसाब रखना चाहिए, यह बहुत बड़ी कला है। आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देख कर डिप्रेशन के मारे मैं एक महीना सदन में न आता, मगर ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस में कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि यह जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा-370 को गलत तरीके से हटाया गया है। अब देश की संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदन दे दिया, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया, किसी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया। ठीक है, सबका अधिकार है करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, पांच जजों की बेंच बनी और पांच सीनियरमोस्ट जज इसमें बैठे, लंबी बहस हुई, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर इस फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा-370 को गलत तरीके से हटाया गया है। मैं इनको नहीं समझा सकता। मेरी तो मर्यादा है, मैं नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें यह समझना चाहिए कि 42 हजार लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए हैं? सवाल हिंदू-मुस्लिम का नहीं है। कश्मीर से ज्यादा मुसलमान गुजरात में हैं, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में हैं, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में हैं, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान असम में हैं। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ, क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री

कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा? कांग्रेस पार्टी ने यह कहा कि यह जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा-370 को गलत तरीके से हटाया गया है

का भी सवाल नहीं है, कई ऐसे राज्य हैं। राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धारा-370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं चाहते। एक गलत फैसला हो जाता है। कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे कि यह फैसला गलत है, तो देश के हित में वापस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं कि वापस आइए, वरना जितने बचे हो, इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले से चिपककर रहना चाहते हो, तो देश की जनता देख रही है, 2024 में दो-दो हाथ भी हो जाएंगे, जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री भी होंगे।

मैं जिन दो बिल्स को लेकर आया हूं, उन दोनों बिल्स पर एक प्रकार से सभी पार्टियों को मैंने सुना है । सबने सर्वसम्मति से बिल्स के तत्वों का समर्थन किया है और बिल्स का जो तत्व है, content है, इसको स्वीकार किया है। मुझे लगा था कि ब्रिटास जी खड़े हो कर बोलेंगे कि हम इसको oppose करने को खड़े हैं। मगर मैं जब सभी पार्टियों की बात कहता हूं, तो यह तो काउंट करता ही हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती है, इसलिए सभी पार्टियों से मेरा मतलब बाकी दलों से है ।

> धारा-370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं चाहते

'कमजोर और वंचित वर्ग'— यह जो नाम है, किसी भी नागरिक की dignity को बहुत hurt करने वाला नाम है, अन्तर की गहराइयों तक दूर खड़ा करने वाला नाम है। यह बहुत समय से था और प्रधानमंत्री जी ने एक जो फैसला लिया है, जिस फैसले को वास्तविक स्वरूप देने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इसमें 'कमजोर और वंचित वर्ग' की जगह 'अन्य पिछड़ा वर्ग'— यह नाम जोड़ने का फैसला किया गया है, जो कि एक संवैधानिक term है, संवैधानिक शब्द है।

1989 से चरम पर पहुंचा आतंकवाद

जो दूसरा बिल है, वह जम्मू-कश्मीर में सालों से अलग-अलग प्रकार के विस्थापित हुए लोगों के लिए है। 80 के दशक से आतंकवाद की शुरुआत हुई, 89 से यह चरमसीमा पर पहुंचा और ढेर सारे कश्मीरी हिन्दू, विशेषकर कश्मीरी पंडित और ढेर सारे सिख भाई घाटी छोड़कर पूरे देश भर में बिखर गए। वे जम्मू में गए, बेंगलुरु में गए, गुजरात, दिल्ली, फरीदाबाद गए, वे देश भर में बिखरे। सभी राज्यों ने उनकी आवभगत भी की, सभी राज्यों ने उनको रिजर्वेशन भी दिया और कई राज्यों ने तो उनको नौकरी में priority भी दी। पूरे देश ने कश्मीरियों को गले लगाने का काम किया है, पूरे देश की जनता ने किया है। वे बिखरे और ऐसे बिखरे कि वे अपने ही देश में विस्थापित हो गए, निराश्रित हो गए। जिनके पास अरबों-खरबों की सम्पत्ति थी, वे दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। यह उन लोगों को सम्मान देने के लिए है। यह आंकड़ा कोई छोटा-मोटा आंकड़ा नहीं है। 46,631 परिवार जो रजिस्टर्ड हैं, वे वहां से विस्थापित हुए थे और 1,57,967 लोगों ने हमारे बहुत प्रयासों के बाद 2019 के बाद हमने एक अभियान चलाया है, हर शहर में जाकर advertisement दिया है, उनका online registration हो गया है और इतने लोग अब तक register हुए हैं। तन्खा साहब ने कहा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको भी register करना चाहिए। मैं तो उनको निमंत्रित करता हूं कि तन्खा साहब, ऐसे जितने भी लोग छूट गए हैं, आप उनकी सूची लाइए, मैं आधे सेकंड में उनको register करके आपको उसका acknowledgement दूंगा।

> **मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और विस्थापितों को कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए committed है**

यह online प्रक्रिया है । मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और विस्थापितों को कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए committed है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर को लिखिए, किसी भी चीज के बगैर आपका registration कर दिया जाएगा,

आप मतदान भी करेंगे, चुनाव भी लड़ पाएंगे और जम्मू-कश्मीर के अन्दर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हैं। आपको पूरे अधिकार दिए जाएंगे।

हजारों परिवार हुए विस्थापित

3 युद्ध भी हुए। 1947 में और 1948 में युद्ध हुआ, तो 31,779 परिवार आज के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शरण लेकर भारत में आए। इनमें से 26,319 परिवार तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य में बसे और शेष 5,460 परिवार अन्य भागों में बसे। फिर 1965 और 1971 में युद्ध हुए, तो छंब और नियाबत क्षेत्र से लगभग 10,065 परिवार विस्थापित हुए। 3,500 परिवार 1965 के युद्ध में विस्थापित हुए और करीब-करीब इतने ही परिवार 1971 के युद्ध में भी विस्थापित हुए। अब तक 1947, 1965 और 1971 के युद्धों में लगभग 41,844 परिवार विस्थापित हुए हैं। उनके बारे में भी भारत सरकार ने ढेर सारी चिन्ता की है, यह मैं आगे बताता हूं। मगर यह जो बिल है, इसके तहत उनके लिए 3 सीटें 2 जम्मू-कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और 1 सीट Pak-occupied Kashmir से विस्थापित होकर आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ किया है।

यह जो बिल है, इसके तहत उनके लिए 3 सीटें 2 जम्मू-कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और 1 सीट Pak-occupied Kashmir से विस्थापित होकर आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ किया है

यह जो फैसला है, यह उसी एक्ट का हिस्सा है, जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब आप 5 अगस्त, 2019 के बिल को चैलेंज करते हो, तब आप डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो। यह मत भूलो कि आप इनके रिज़र्वेशन के खिलाफ बात करते हो।

डीलिमिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की और जम्मू-कश्मीर प्रशासन, जो आज स्वाभाविक है कि राष्ट्रपति शासन है, उसने भी अपना

अभिप्राय डीलिमिटेशन कमीशन को दिया था और भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि उनके प्रति सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि जब वे अपनी जमीन में ही नहीं हैं, तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं? उन्होंने यह आदेश प्रकाशित किया था, जिसको आज कानूनी जामा पहनाकर मैं इस बिल को लेकर यहां उपस्थित हुआ हूं।

डीलिमिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं। मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूं। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीटें थीं, अब नए डीलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट्स जम्मू क्षेत्र में बनाने का काम किया है। कश्मीर में 46 सीटें थीं, अब 46 की जगह 47 सीटें बनाने का काम किया गया है। इस तरह से, जम्मू और कश्मीर, दोनों को मिलाकर 83 सीटें थीं। लद्दाख की सीटें निकाल दी गईं, क्योंकि वहां यूटी बन चुकी है। जो पहले 83 सीटें थीं, उनकी जगह अब 90 सीटें डीलिमिटेशन कमीशन ने की हैं, जिसको भारत सरकार ने मान लिया है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी यह मानते हैं, जिसको जो बोलना है वह बोले, इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है, मैं आज फिर से कहना चाहता हूं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और वह हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए 24 सीटें दी हैं।

> **पहले एससी की जो 7 सीटें थीं, उनको हमने बरकरार रखा और एसटी की शून्य थी, क्योंकि धारा-370 परमिट नहीं करती थी, लेकिन अब परमिट करती है और उनके लिए अब हमने 9 सीटों को रिज़र्व कर दिया है**

एसटी के लिए भी 9 सीटें आरक्षित

अब तक एससी-एसटी की सीटों में बड़ी विसंगतियां भी थीं। दिग्विजय जी कह रहे थे कि संवेदनशील एप्रोच होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, तो एससी-एसटी के प्रति संवेदना से ही यह निर्णय हुआ है। पहले एससी की जो 7 सीटें थीं, उनको हमने बरकरार रखा और एसटी की शून्य थी, क्योंकि धारा-370 परमिट नहीं करती थी, लेकिन अब परमिट करती है और उनके लिए अब

हमने 9 सीटों को रिज़र्व कर दिया है। हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि गुर्जर - बकरवालों ने इस देश को बचाया है। मैं इस सदन में इस देश के गृह मंत्री के नाते यह कहना चाहता हूं कि जब कभी युद्ध हुआ, जब भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, तो मेरे गुर्जर - बकरवाल भाइयों ने भारत के सिर को हमेशा ऊंचा किया। आज सालों के बाद उनको न्याय मिलने जा रहा है, इसका कम से कम मुझे तो बहुत संतोष है, किसी को संवेदनशीलता दिखे या ना दिखे, 75 साल तक उनका अधिकार, जो भारत के संविधान ने दिया था, उसको कौन रोक कर बैठा था? क्या कोई जवाब दे सकता है? जम्मू-कश्मीर के एसटी भाइयों के अधिकारों को कौन रोककर बैठा था? उसको ये तीन परिवार रोककर बैठे थे, जो 370 को एंजॉय कर रहे थे। वे इसके अलावा भी ओपन सीट्स पर लड़ सकते हैं।

माननीय सदस्य श्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि इसमें स्पष्टता नहीं है कि इनको कितनी मिलेगी। मैं दिग्विजय सिंह जी को कहना चाहता हूं कि यह 'इन-प्रिंसिपल' बिल है। ट्राइबल मंत्रालय और सोशल जस्टिस मंत्रालय से अलग से इसके बिल्स आएंगे, जिनमें उनकी रिज़र्वेशन की सीटों को चिन्हित करने की व्यवस्था होगी। वह एक अलग प्रक्रिया है, मगर वह स्पष्टता से होगी।

जब कभी युद्ध हुआ, जब भी आतंकवादियों ने पैंतरे रचे, तो मेरे गुर्जर - बकरवाल भाइयों ने भारत के सिर को हमेशा ऊंचा किया। आज सालों के बाद उनको न्याय मिलने जा रहा है

मैं दिग्विजय सिंह जी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वे जब भी हंस कर बोलते हैं, तब समाज के अंदर बहुत disturbance होती है। उनका बड़ा रिकॉर्ड है। मैं रिकॉर्ड को जानता हूं, आज भी वे हंस कर बोले। मैंने सोचा क्या निहितार्थ है, फिर मैंने ध्यान से उनकी चीज़ को याद किया और सोचा, तो मुझे मालूम पड़ा कि इन्होंने कहा कि किसी का छीन कर तो नहीं।

ये गुर्जर और बकरवाल को लड़ाना चाहते हैं।

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गुर्जर बकरवाल भाइयों की एक भी सीट लिए बगैर बड़ी संवेदनशीलता से पहाड़ी भाइयों को दिया जाएगा। हमें कोई आपत्ति नहीं है। गुर्जर-बकरवाल भाइयों को जो फायदा मिला है, उसमें कोई

बदलाव नहीं होगा, ट्राइबल के सारे फ़ायदे - एजुकेशन में और सारी नौकरियों के रिज़र्वेशन में जितने भी फ़ायदे पहाड़ियों को मिल रहे हैं, उन पहाड़ियों को जो भी मिलेगा वह उसके अलावा मिलेगा। न एक भी नौकरी खत्म होगी, न ही एक भी शिक्षा की सीट खत्म होगी— आपका भी पूरा अधिकार रहेगा और उनका भी पूरा अधिकार रहेगा।

देश की एक इंच भूमि के लिए भी भाजपा का हर कार्यकर्ता पूरी ताकत से संघर्ष करेगा

एक बहुत बड़ी चर्चा चली कि जवाहरलाल नेहरू जी का कश्मीर के लिए conduct और इस पर हमारा नज़रिया थोड़ा तंग है। जहां तक तंग नज़रिये का सवाल है, देश की एक भी इंच ज़मीन का सवाल होगा, तो हमारा नज़रिया तंग रहेगा, हम दिल बड़ा नहीं कर सकते हैं। किसी को अधिकार नहीं है कि अपने बड़े हृदय को दिखाने के लिए देश का एक भू-भाग देश से चला जाए और वह मूक दर्शक बनकर खड़ा रहे, यह अधिकार किसी को नहीं है। मैं आज फिर से कहता हूं कि इस आरोप से मैं सहमत हूं। हमारा नज़रिया तंग है, देश की एक इंच भी ज़मीन जाती है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा। हमारे लिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं है।

> देश की एक इंच भी ज़मीन जाती है, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सर्वोच्चता से संघर्ष करेगा, लड़ाई करेगा और लड़ेगा

मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। यहां बहुत कुछ कहा गया। अभी कहा गया कि नेहरू जी के कारण कश्मीर यहां है, नेहरू जी न होते तो शायद यह बिल ही नहीं आता और कश्मीर होता ही नहीं— इस तरह से कहा गया। मैं आज कहना चाहता हूं कि जो लोग आज़ादी के बाद भारत की रचना को जानते हैं, उनको मालूम होगा कि हैदराबाद में इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्या वहां जवाहरलाल नेहरू जी गए थे?

सब रिकॉर्ड पर है। कश्मीर पर दिग्विजय जी ने सरदार पटेल का नाम नहीं

लिया। एक नाम लिया, शेख अब्दुल्ला का और दूसरा नाम लिया जवाहरलाल नेहरू का। वे होम मिनिस्टर थे, क्यों नाम नहीं लिया? क्या जूनागढ़ में जवाहरलाल नेहरू गए थे, क्या हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू गए थे, क्या लक्षद्वीप में जवाहरलाल नेहरू गए थे, क्या जोधपुर में जवाहरलाल नेहरू गए थे? जवाहरलाल नेहरू एक ही जगह काम देखते थे, जम्मू-कश्मीर में काम देखते थे, जिसको आधा छोड़कर आ गए। एक ही जगह देखते थे।

दूसरा यह कि विलय लेट क्यों हुआ— सभी लोग जानते हैं— इतिहास को एक हज़ार फीट नीचे दफन कर दो, लेकिन वह ऐसा बीज है, जो वटवृक्ष बनकर सच्चाई के रूप में बाहर आ जाता है। सब जानते हैं कि हमारा विलय इसलिए लेट हुआ कि महाराजा पर किसी एक व्यक्ति को विशेष ध्यान देने का आग्रह था।

शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था, इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला। मैं आज यह पूछना चाहता हूं कि इतने सारे कठिन राज्यों का विलय हो गया, कहीं पर भी धारा-370 क्यों नहीं है? क्यों नहीं है, न जोधपुर में है, न जूनागढ़ में है, न हैदराबाद में है और न लक्षद्वीप में है, वहां पर क्यों 370 नहीं है? यह 'संवेदनशील हृदय' के कारण धारा-370 है। कंडिशन किसने रखी, किसने स्वीकार की, इतिहास जवाब मांगता है, देश की जनता जवाब मांगती है, जवाब देना पड़ेगा, आप इतिहास से भाग नहीं सकते हैं। सेना भेजने में देरी क्यों हुई? और ये कहते हैं कि इसके बाद भी देरी हुई है। मैं एक reference Sam Manekshaw का देना चाहता हूं। Field Marshal Sam Manekshaw तब Director of Military Operations थे, उन्होंने एक जगह पर कहा है कि कबाइली हमलावर आक्रमण और लूट मचा रहे थे, तब चर्चा में ही व्यस्त थे। मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता, वरना खड़े हो जाएंगे। तब एक मीटिंग में Sam Manekshaw मौजूद थे। सरदार

शेख अब्दुल्ला को विशेष स्थान देने का आग्रह था, इसके कारण विलय लेट हुआ और पाकिस्तान को आक्रमण करने का मौका मिला

पटेल ने नेहरू जी को कहा कि जवाहर, आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ। आपको जवाब देना पड़ेगा।

समय से पहले हुआ सीजफायर

एक बात सर्वविदित है। अगर असमय ceasefire नहीं होता, तो आज Pak occupied Kashmir नहीं होता। अब पत्रों का जिक्र कर रहे हैं कि अंग्रेज़ सेनापति ने लिखा है, मैं इसको जरूर देखूंगा, अगर किसी ने लिखा है तो और इसको जरूर देखना चाहिए, परन्तु अफसर कुछ भी कहे, देश के प्रधानमंत्री को देश की ज़मीन के लिए संवेदनशील होना चाहिए या नहीं होना चाहिए— इतना छोटा सा सवाल है। हमारी सेना जीत रही थी और वे भाग रहे थे। दो दिन रुक जाते, तो पूरा Pak occupied Kashmir तिरंगे के तले आ जाता। ऐसा क्यों किया? दूसरा, क्यों मामले को UN में ले जाया गया, अब इन सारी चीज़ों के लिए आप कहते हैं कि reference लाइए।

सरदार पटेल ने नेहरू जी को कहा कि जवाहर, आप कश्मीर चाहते हो या नहीं चाहते हो, देरी क्यों हो रही है? तब जाकर सेना भेजने का निर्णय हुआ। आपको जवाब देना पड़ेगा

मैं एक क्वोट पढ़ता हूं— "यूनाइटेड नेशन के अनुभवों के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे सीज़फायर करना अच्छा फैसला लगा, लेकिन इस मसले पर हम ठीक से नहीं निपट पाए, नहीं परख पाए। हमें सीज़फायर पर और विचार करके बाद में निर्णय करना चाहिए था, हालांकि ये सब भूतकाल की गलतियां हैं।" यह जो क्वोट है किसी और का नहीं है। यह जवाहरलाल नेहरू का है। अब उनको तो मानोगे या नहीं मानोगे, जब उन्होंने गलती स्वीकार की है? मैं इसका सोर्स भी बता देता हूं, Nehru Memorial Museum and Library; Jawaharlal Nehru Collection, JNSG - 143 Part - 1 और उस वक्त स्वयं नेहरू जी कह रहे हैं कि मेरी गलती थी, क्यों पूंछ को इतना पकड़कर रखा है? चलो, संयुक्त राष्ट्र में जाना भी था,

तो अनुच्छेद-35 के तहत क्यों लेकर गए? जहां पर भारत के अधिकार सीमित होते थे। अनुच्छेद-51 के तहत जाते, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती। यह भी एक बहुत बड़ा गलत फैसला था।

मैं बताना चाहता हूं कि दो सदी तक अगर धारा-370 का फैसला गलत है, तो वह मेरी सरकार का फैसला है, मेरा फैसला है। प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने यह फैसला लिया है। न मोदी जी इस फैसले से भाग सकते हैं, न हमारी कैबिनेट भाग सकती है और न हमारी पार्टी भाग सकती है। रिस्पांस्बिलिटी own करनी पड़ती है। जब इमेज बिल्डिंग के लिए बड़े-बड़े फैसले लेते हैं, संवेदनशील दिमाग से फैसले लेते हैं, तब इसे own भी करना पड़ता है और देश को जवाब भी देना पड़ता है। इतिहास इस तरह से नहीं चलता है। दिग्विजय जी, मेरी बात आज भी मानकर चलिए कि इतिहास किसी को नहीं बख्शता है।

दो करोड़ लोगों ने की अमरनाथ यात्रा

मैं आज जो बिल लेकर आया हूं, उसे लेकर काफी लोगों ने पूछा कि क्या बदलाव आया है। अब मेरी कोई चश्मे की दुकान तो नहीं है, जिससे मैं किसी को वास्तविकता दिखाने का चश्मा पहना सकूं। सबको अपने-अपने चश्मे से देखना पड़ेगा। अगर चश्मे का कांच गलत है, तो दृश्य गलत हो जाता है। पूरा कश्मीर - पूरे देश से दो करोड़ यात्री जाकर आए, लाखों यात्री अमरनाथ यात्रा करके आए, हर महीने लाखों यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं और सौ से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है, वे सभी एक मुख से कहते हैं कि कश्मीर की परिस्थिति अच्छी है, मगर ये स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। मुझे मालूम नहीं है कि ये कौन सा चश्मा पहनकर देखते हैं!

पूरे देश से दो करोड़ यात्री जाकर आए, लाखों यात्री अमरनाथ यात्रा करके आए, हर महीने लाखों यात्री वैष्णो देवी के दर्शन करके आते हैं और सौ से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हुई है, वे सभी एक मुख से कहते हैं कि कश्मीर की परिस्थिति अच्छी है

मैं आज कहना चाहता हूं कि जिस कश्मीर में 40,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, कई पिता अपने कंधों पर अपने बेटों के जनाज़े लेकर गए हैं, कई लोग अपनी बेटी की डोली तक नहीं देख पाए और कई बहनों ने अपने भाइयों को खो दिया।

अगर हृदय संवेदनशील है, तभी इनकी वेदना का अनुभव कर सकते हैं। मगर जिनके हाथ में हथियार है, हमारे हृदय में उनके लिए ही संवेदना है, तो इसका रास्ता मेरे पास नहीं है। मैं इनकी मदद नहीं कर सकता हूं। हमारे मन में कश्मीर के युवाओं के लिए, कश्मीर की बच्चियों के लिए और घाटी के भविष्य के लिए संवेदना है, आतंकवादियों के लिए नहीं है। मैं समझता हूं कि आर्टिकल-370 समाप्त होने के बाद और इससे पहले भी, जब से 2014 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई है, आज युवाओं का भविष्य ब्लैक नहीं है, बल्कि स्कूल का ब्लैकबोर्ड उनका भविष्य बन गया है। वे पढ़ाई-लिखाई करते हैं। जो युवा पत्थर लेकर घूमते थे, मोदी सरकार ने, इस प्रधानमंत्री ने उनके हाथ में लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है। धारा-370 को आधार बनाकर आतंकवाद और अलगाववाद की बात करने वाले लोग आज जो बात करते हैं, कश्मीर की जनता उनकी उस बात को अनसुना करती है और डेमोक्रेसी एवं डेवलपमेंट की बात करती है। यह आज बदलाव हुआ है। अभी-अभी कह रहे थे कि मैंने सदन में कहा था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं अपने जीवन में बोला हुआ भूलता नहीं हूं और जो बोलता हूं, उसे own करता हूं। मैंने कहा था कि धारा-370 के कारण अलगाववाद की भावना समाप्त हो जाएगी और जब अलगाववाद की भावना समाप्त होगी, शनैः-शनैः आतंकवाद कम हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।

आर्टिकल-370 समाप्त होने के बाद और इससे पहले भी, जब से 2014 में नरेन्द्र मोदी जी की सरकार आई है, आज युवाओं का भविष्य ब्लैक नहीं है, बल्कि स्कूल का ब्लैकबोर्ड उनका भविष्य बन गया है। वे पढ़ाई-लिखाई करते हैं

इन्होंने बीच मंझधार में 40 साल गलतियां कीं। 80 के दशक से गलतियां करते आए। 'संवेदनशील हृदय' से सोचते रहे हैं। इन्होंने हथियार उठाने वालों के लिए 'संवेदनाएं' रखीं और इस 40 साल की गलती को लेकर ये ऐसा सोचते हैं कि यह मोदी जी के चार साल में सुधर जाएगी, मगर आपकी बात सही है, अपेक्षा ऐसी रखनी ही चाहिए।

मैं बहुत पास्ट में नहीं जाता हूं। जब चरम सीमा पर थे, तब तो आंकड़े बहुत भयावह थे। 90 के दशक में बहुत भयावह आंकड़े थे, परंतु मैं यूपीए के

शासनकाल की बात करना चाहता हूं।

पिछले 10 सालों में 70 प्रतिशत कम हुईं आतंकी घटनाएं

वर्ष 2004 से 2014 के बीच में जब सोनिया जी और डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कुल 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई थीं और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई हैं। यह पिछले दस साल की बात है। इसमें 70 प्रतिशत की कमी हुई है। उसमें धारा-370 हटने के बाद केवल चार साल ही अभी बीते हैं। करीब-करीब 2,900 नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेज़ के लोग मारे गए। तीन हजार नागरिक उस वक्त 2004 से 2014 के दौरान मारे गए और 2014 से 2023 के बीच में 891 नागरिक मारे गए। इस प्रकार से नागरिक और सिक्योरिटी फोर्सेज़ में 70 प्रतिशत की कमी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज़ में भी 50 प्रतिशत की कमी हुई है। ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है। मैं आंकड़े बताना चाहता हूं और खासकर मनोज जी देखें, आत्मा है तो अंधेरे में टटोल कर सुनें, सोच और विचार में परिवर्तन होता है, तो ईश्वर के लिए करें।

वर्ष 2004 से 2014 के बीच में जब सोनिया जी और डा. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कुल 7,217 आतंकवादी घटनाएं हुई थीं और अब आतंकवादी घटनाएं सिर्फ 2,197 हुई हैं। यह पिछले दस साल की बात है। इसमें 70 प्रतिशत की कमी हुई है

Organized stone pelting की 2010 में 2654 घटनाएं हुई थीं, 2023 में सिर्फ चार साल हुए हैं, एक भी पथराव की घटना नहीं हुई है जबकि stone pelting में 2010 में 112 नागरिकों की मृत्यु हुई थी। क्योंकि अब stone pelting ही नहीं हुई है, तो मृत्यु भी नहीं हुई है, इसलिए ज़ीरो मृत्यु है। मैं stone pelting में जख्मी नागरिकों की बात करता हूं, सिक्योरिटी फोर्स की नहीं, जो नागरिक घाटी के हैं, उनकी संख्या 6,035 थी, क्योंकि अब stone pelting नहीं हुई है, तो ज़ीरो जख्मी हैं। यह इनको दिखाई नहीं देता है। सीज़फायर वॉयलेशन की घटनाएं 2010 में 70 थीं और 2023 में 6 घटनाएं हुई हैं। घुसपैठ के प्रयास 489 थे, अब सिर्फ 48 हुए हैं । वापिस लौट गए आतंकवादी 2010 में 281 थे, अभी 18 आतंकवादी घाटी छोड़कर चले गए हैं। यह नागिरकों के प्रति संवेदनशीलता का नमूना है।

मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इसलिए बताना चाहता हूं कि हमने सिर्फ टेरेरिज्म के खिलाफ आवाज ही नहीं उठाई है, बल्कि इस पर आक्रामक कार्रवाई की है। हमने टेरेरिज्म के ecosystem को खत्म करने का काम किया है, जो टेरेरिज्म को फाइनेंस करते थे, उन पर भी एक्शन लेने का काम किया है। NIA द्वारा terror finance के 32 केस रजिस्टर किए गए और 2014 के पहले एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं था। State Investigating Agency ने terror finance के 51 केस रजिस्टर किए हैं, पहले State Investigating Agency की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी!

आतंक वित्तपोषण में 229 लोग हुए गिरफ्तार

229 लोग terror finance के केस में अरेस्ट हुए हैं, 150 करोड़ रुपये की प्रापर्टी सीज़ हुई है तथा 57 प्रापर्टीज़ सीज़ हुई हैं और एसआईए द्वारा 134 बैंक अकाउंट्स में लगभग 1.22 करोड़ से ज्यादा की रकम को फ्रीज़ करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आप कह रहे हैं कि क्या बदलाव आया है, मैं आपको बताता हूं कि बदलाव क्या आया है।

229 लोग terror finance के केस में अरेस्ट हुए हैं, 150 करोड़ रुपये की प्रापर्टी सीज़ हुई है तथा 57 प्रापर्टीज़ सीज़ हुई हैं और एसआईए द्वारा 134 बैंक अकाउंट्स में लगभग 1.22 करोड़ से ज्यादा की रकम को फ्रीज़ करने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है

मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि हमने बहुत बड़े और कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से उठाये हैं, जिनके बारे में मैं आज बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले और आर्टिकल-370 के हटने के पहले आपने देखा होगा कि आतंकवादियों के जनाज़े में 25-25 हजार की भीड़ आती थी। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि क्या किसी ने देखा है धारा-370 के हटने के बाद से कोई ऐसा करता है? अब कोई ऐसा नहीं करता है, क्योंकि हमने निर्णय किया है कि जो भी आतंकवादी मारा जाएगा, उसको उसी जगह पर सम्पूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति-रिवाज़ के दफना दिया जाएगा।

यह स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई है? नौकरियों की जितनी भी एडवरटाइज़मेंट

है, उसमें सरकार ने तय कर लिया है कि अगर स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस रजिस्टर है, तो उस परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। जो लोग विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं, वे लोग क्यों डरे हुए हैं? वे लोग इसलिए डरे हुए हैं, क्योंकि हमने तय किया है कि जिसके परिवार का जन पाकिस्तान में बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी।

हमने तय किया है कि टेलीफोन रिकॉर्ड के आधार पर अगर प्रस्थापित होता है कि किसी के परिवार का व्यक्ति आतंकवाद को बढ़ावा देने में लिप्त है और वह नौकरी में है, तो भी हमने उसे डिसमिस करने के सर्विस रूल्स बनाए हैं। जीरो-टेरर प्लान और कंप्लीट एरिया डोमिनेशन के माध्यम से पूरे टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र को आज हमने सुरक्षित करने का काम किया है। आज मैं कहना चाहता हूं कि जेलें अड्डा बनकर पड़ी हुई थीं, लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार ने जेलों के अंदर जैमर लगाकर सख्ती करने का काम किया है और 105 करोड़ की लागत से एक नई जेल बन रही है, जो सिर्फ टेररिस्ट्स के लिए होगी। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उस जेल की सुरक्षा को कोई भेद नहीं पाएगा और टेररिज्म के अंदर कोई अपना योगदान नहीं देगा। बार काउंसिल में भी जो समर्थक थे, उन्हें भी संदेश दे दिया गया है। रोजगार पासपोर्ट और गवर्नमेंट कांन्ट्रेक्ट के लिए भी हमने ढेर सारी चीज़ें की हैं। आदत पड़ गई थी— हमले हों, तो भुला देना, इधर-उधर कोई बड़ा एक्शन ले लेना, जिससे अखबार के अगले दिन के टाइटल्स बदल जाएं। हम छिपाने में विश्वास नहीं करते हैं। शुरू-शुरू में हमारे समय में भी हमले हुए हैं, क्योंकि पुरानी आदत पड़ी हुई थी। ऊरी में भी हुआ, पुलवामा में भी हुआ, लेकिन

नौकरियों की जितनी भी एडवरटाइजमेंट है, उसमें सरकार ने तय कर लिया है कि अगर स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस रजिस्टर है, तो उस परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। जो लोग विदेश भागकर आतंकवाद करते हैं, वे लोग क्यों डरे हुए हैं? वे लोग इसलिए डरे हुए हैं, क्योंकि हमने तय किया है कि जिसके परिवार का जन पाकिस्तान में बैठकर आतंकवाद को प्रोत्साहन देता है, उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिलेगी

हमने सर्जिकल स्ट्राइक और एअर स्ट्राइक करके घर में घुसकर जवाब देने का काम किया है। हममें कश्मीर के युवाओं के लिए संवेदनशीलता है, मगर संवेदनशीलता की व्याख्या टेरेरिज्म के लिए नहीं है। हमारे मन में टेरेरिस्टों के लिए कोई संवेदना नहीं है। मैं आज भी कहता हूं कि वे हथियार डाल दें और मेनस्ट्रीम में आएं, तो उनका स्वागत है। नॉर्थ-ईस्ट में कई लोग हथियार डालकर मेनस्ट्रीम में आए हैं। भले ही कश्मीर में भी युवा ने हाथ में हथियार पकड़ा हो, वह हथियार डाल दे, कानून की, अदालत की शरण में आए, हम उसका स्वागत करते हैं। संवेदना से हमारा हृदय भरपूर है। हमने जो किया है, वह युवाओं के लिए किया है। ये लोग पूछते हैं कि क्या हुआ? हमने धारा-370 और 35ए को हटा दिया। धारा-370 और 35ए कश्मीर के लोगों के साथ तो अन्याय करती ही थी, मगर देश के आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचाती थी। यह सिर्फ कश्मीरी लोगों का सवाल नहीं था, बल्कि 130 करोड़ लोगों का सवाल था। हमारे संस्थापक नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उस वक्त सवाल उठाया था और नेहरू जी की मिनिस्ट्री छोड़ दी थी कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान कैसे हो सकते हैं। ये नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने इस पर आंदोलन किया और उनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई, वे शहीद हो गए। आज मुझे आनंद है कि कश्मीर के लिए मरने वाला हर फौजी, छोटे से छोटा व्यक्ति, नागरिक से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, जिस-जिस ने बलिदान दिया है, उन सभी लोगों की आत्मा आज इस देश में से दो विधान, दो निशान और दो प्रधान समाप्त करके संतुष्टि की सांस ले रही होगी। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला है और मैं इस फैसले का बहुत मन से 130 करोड़ की जनता की ओर से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। आज एक संविधान, एक राष्ट्र ध्वज और एक प्रधानमंत्री बन चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न साकार हो चुका है।

आज मुझे आनंद है कि कश्मीर के लिए मरने वाला हर फौजी, छोटे से छोटा व्यक्ति, नागरिक से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तक, जिस-जिस ने बलिदान दिया है, उन सभी लोगों की आत्मा आज इस देश में से दो विधान, दो निशान और दो प्रधान समाप्त करके संतुष्टि की सांस ले रही होगी

कश्मीरी, डोगरी, हिंदी को पहली बार मान्यता

दो राजधानी रखी, दो दरबार रखे, सालाना दो सौ करोड़ रुपये का खर्च भी होता था, लेकिन अब एक केंद्रीय कानून है और वह जो केंद्रीय कानून है, वह जैसे सभी राज्यों में जाता है, वैसे ही कश्मीर में भी जाता है। कश्मीरी, डोगरी, हिंदी को पहली बार मान्यता देने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। धारा 35ए के तहत कश्मीर की महिलाओं को न्याय देने का काम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है।

शिक्षा हो, नौकरी हो, पहली बार रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। पहली बार एसटी समुदाय को विधान सभा में आरक्षण देने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। 'राइट टू एजुकेशन एक्ट' पहली बार धारा-370 जाने के बाद वहां लागू हुआ। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वसन और पुनर्स्थापना में उचित मुआवजे का कानून पहली बार जम्मू-कश्मीर में धारा-370 जाने के बाद हुआ। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट पहली बार धारा-370 समाप्त होने के बाद लागू किया गया। एससी/एसटी (प्रिवेंशन ऑफ़ एट्रोसिटीज़) एक्ट पहली बार जम्मू-कश्मीर में धारा-370 जाने के बाद लागू हुआ। व्हिसल-ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पहली बार जम्मू-कश्मीर में धारा-370 जाने के बाद लागू हुआ। सर, यह व्हिसल ब्लोअर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला था। जम्मू-कश्मीर के किसी भी नागरिक को पूछिए, तो वह बताएगा कि वहां सिफारिश के बिना नौकरी नहीं मिलती थी। बड़ी परेशानी थी, भ्रष्टाचार होता था, क्योंकि तीन परिवारों का ही शासन था। वे वहां क्यों व्हिसल-ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट लाएंगे? अभी-अभी झारखंड में किसी एमपी के यहां, वे किस दल के हैं, मैं कहना नहीं चाहता, पूरी दुनिया जानती है, इतना सारा कैश मिला कि बैंक के कैशियर कहते हैं कि हमने भी इतना कैश कभी देखा नहीं है। गिनते-गिनते 5 दिन हो गए! 27 मशीनें गर्म हो गईं। मशीनें गर्म हो गईं, मशीनें बंद हो गईं, मगर यह अभी समाप्त नहीं हुआ है! एक भी

कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित है कि ये नहीं सुनेंगे। इन्होंने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी

घमंडिया गठबंधन ने इसकी टीका नहीं की है, उसको सस्पेंड भी नहीं किया है।

पीयूष भाई जैसे भले हृदय के लोगों को विश्वास था कि ये जवाब सुनेंगे, मैं इनके ऑफिस में कॉफी पीने के लिए गया, तो मैंने कहा कि ये नहीं सुनेंगे। पीयूष भाई ने मुझसे पूछा कि ये क्यों नहीं सुनेंगे? मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ओबीसी विरोधी पार्टी है, इसलिए निश्चित है कि ये नहीं सुनेंगे । इन्होंने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रखा, इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को दबाकर रखा, इन्होंने ओबीसी आयोग को संवैधानिक मान्यता नहीं दी, इन्होंने ओबीसी के बच्चों को केंद्रीय पूल में रिजर्वेशन का अधिकार नहीं दिया और इन्होंने ओबीसी का हमेशा विरोध करने का काम किया है। अभी-अभी इनके नेता को किसी एनजीओ ने लिखकर दिया है, अर्थ मालूम है या नहीं है, मालूम नहीं, कभी कोई फुल फॉर्म पूछ ले, तो तकलीफ आ जाए, परंतु अभी लिखकर दिया है, तो ओबीसी-ओबीसी-ओबीसी कर रहे हैं। एक पत्रकार मुझसे कह रहा था कि ये इतना बोल रहे हैं, मैंने कहा कि इसकी एक तिथि होती है, 180 दिन। पहली बार कब बोले, वह देख लेना, 180 दिन के बाद विषय बदल जाएगा।

शिक्षा हो, नौकरी हो, पहली बार रिजर्वेशन देने का काम प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। पहली बार एसटी समुदाय को विधान सभा में आरक्षण देने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। 'राइट टू एजुकेशन एक्ट' पहली बार धारा-370 जाने के बाद वहां लागू हुआ

इसमें मन से कुछ नहीं होता है। जिनके पिता जी ने पूरा जीवन संसद के लोक सभा में खड़े रहकर मंडल कमीशन को लागू करने का विरोध किया, वे आज ओबीसी की बात कर रहे हैं! मुझे तो भरोसा था कि ये नहीं बैठेंगे, पूछ रहे थे कि क्या परिवर्तन आया है। मैं आज उनको कहना चाहता हूं कि मुरली मनोहर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और नरेन्द्र मोदी जी हमारी यात्रा के संयोजक थे। वहां लाल चौक पर तिरंगा फहराना था, जिसमें हम सभी गए थे। हमें वहां जाने नहीं दिया गया। मोदी जी और कुछ अन्य लोग जान की परवाह किये बगैर वहां पर गए और वहां तिरंगा फहराया। भारत के हिस्से पर तिरंगा फहराने के लिए सेना को दखल करना पड़ता था! उसी लाल चौक पर 26 जनवरी को घर-घर तिरंगा फहराया गया।

2021 से अब तक हुई 100 शूटिंग्स

ये कहते हैं कि क्या परिवर्तन आया है। वहां 30 साल से थिएटर्स बन्द थे। कश्मीर में थिएटर्स नहीं चलते थे। वे क्यों नहीं चलते थे, मैं इसकी मीमांसा में नहीं जाना चाहता, परन्तु आज कश्मीर में 3 थिएटर्स चालू हो गए हैं और 18 थिएटर्स घाटी में खुलने को तैयार हो गए हैं और कई लोगों ने loan के लिए application दी है। वहां शूटिंग नहीं होती थी। 2021 से लेकर अब तक वहां 100 शूटिंग्स हो चुकी हैं। ये सब कुछ और कहेंगे, ये इसको भी धर्म के चश्मे से देखेंगे। मैं आज कहना चाहता हूं कि मुहर्रम का जुलूस भी 30 साल तक वहां नहीं निकला था, अब नरेन्द्र मोदी सरकार के समय निकला है। इनको बदलाव दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि इनके चश्मे में खराबी है, वे आज भी गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं कि यह देश आपकी स्वीकृति का मोहताज नहीं है, देश की जनता अब समझ चुकी है कि कश्मीर के सवाल के मूल में जवाहरलाल नेहरू की गलतियां थीं।

आज कश्मीर में 3 थिएटर्स चालू हो गए हैं और 18 थिएटर्स घाटी में खुलने को तैयार हो गए हैं और कई लोगों ने loan के लिए application दी है। वहां शूटिंग नहीं होती थी। 2021 से लेकर अब तक वहां 100 शूटिंग्स हो चुकी हैं

GSDP development का बड़ा द्योतक होता है। 2014-15 में GSDP 1 लाख करोड़ रुपये का था और आज यह 2,27,927 करोड़ रुपये का है। यह डबल हो चुका डिग्री कॉलेजेज़ 94 थे, जो आज 147 हैं। तब न तो IIT था, न IIM था और न ही AIIMS था, लेकिन अब वहां IIT भी खुल चुका है, IIM भी खुल चुका है और 2 AIIMS खुलने की प्रक्रिया चल रही है - एक खुल चुका है और दूसरा भी खुल जाएगा। पहले 4 मेडिकल कॉलेजेज़ थे, अब 7 नये मेडिकल कॉलेजेज़ खुले हैं। वहां नर्सिंग कॉलेज एक भी नहीं था, अब 15 नर्सिंग कॉलेजेज़ खुले हैं। पहले मेडिकल सीट्स 500 थीं, आज 1,300 मेडिकल सीट्स हैं। 70 सालों में पीजी मेडिकल सीट्स 367 थीं, आज 297 नयी सीट्स जोड़ने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। Mid day meal के तहत सिर्फ रिकॉर्ड पर करप्शन तो जो होता होगा, वह तो होता ही होगा, लेकिन रिकॉर्ड पर 6 लाख बच्चों को

भोजन मिलता था, जबकि आज 9,31,000 बच्चों को भोजन मिलता है।

टूरिस्ट्स का आंकड़ा 30 लाख से बढ़कर 2 करोड़ को पार कर गया उनको पता है कि घाटी में स्थिति बिल्कुल ठीक है। वहां 1,485 से अधिक home stay चल रहे हैं। जांगड़ा जी ने अभी बताया कि पहले वहां पहचान छुपाकर जाना पड़ता था, आप अच्छी गाड़ी में नहीं बैठ सकते थे, परिचय नहीं दे सकते थे, लेकिन अब घाटी के मुसलमान भाइयों के यहां home stay चल रहा है। वहां गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल से जाने वाले व्यक्ति उनके घर में रहकर, खाना खाकर घाटी का लुत्फ उठा रहे हैं। लगभग 10,000 बिस्तर home stay के अन्दर हो गए हैं। 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' में प्रति वर्ष 1,100 किलोमीटर का एवरेज था, अब चार वर्षों में 8,086 किलोमीटर का एवरेज बना है। Smart city के तहत 47 योजनाएं थीं, जो आज 173 हैं। प्रधानमंत्री आवास सिर्फ 24,000 बने थे, आज 1,45,000 बने हैं। घरेलू नल कनेक्शंस सिर्फ 7,82,000 थे, आज 13,54,000 हैं। गठित किये गये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स 4,000 थे, जो आज 19,000 हैं।

'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' में प्रति वर्ष 1,100 किलोमीटर का एवरेज था, अब चार वर्षों में 8,086 किलोमीटर का एवरेज बना है। Smart city के तहत 47 योजनाएं थीं, जो आज 173 हैं। प्रधानमंत्री आवास सिर्फ 24,000 बने थे, आज 1,45,000 बने हैं

आज 227 जन–औषधि केंद्र

शिशु मृत्यु दर, जो कि सबसे कठिन health parameter है, इसमें गिरावट बहुत कठिनता के साथ होती है। जो लोग health के parameters को जानते हैं, उनको यह मालूम होगा। पहले 1,000 पर 22 शिशु मृत्यु दर का आकड़ा था, आज 1,000 पर सिर्फ 16 शिशु मृत्यु दर का आंकड़ा है। पहले 47 जन औषधि केन्द्र थे, आज 227 जन-औषधि केन्द्र वहां पर स्थापित हो चुके हैं। यह इनको दिखाई नहीं पड़ेगा। आज वे चले गए हैं, मगर मैं दिग्विजय जी को कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी के हृदय की संवेदना है कि घाटी और जम्मू में बहुत बड़ा बदलाव development के क्षेत्र के अन्दर हुआ है।

सिर्फ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में भारत सरकार ने 30,000 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। रेलवेज़ का पैसा अलग है, डिजिटल हाईवे का पैसा अलग

है। पेंशन के लाभार्थी लगभग छह लाख थे, जम्मू की साइड से रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, अब ट्रांसपेरेंट रजिस्ट्रेशन के बाद पेंशन के दस लाख लाभार्थी हो गए हैं। फूड सिक्योरिटी का कवरेज 43.8 परसेंट था, आज 100 परसेंट हो गया है। देश भर में एक मात्र राज्य ऐसा है, जहां पर 'प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना' सिर्फ गरीबों के लिए ही नहीं है, बल्कि गरीब से गरीब से लेकर धनी से धनी तक, फारूक अब्दुल्ला जी तक, सभी को इसका फायदा मिलता है। ओपन डेफिकेशन फ्री 50 से 60 परसेंट था, अब 100 परसेंट है, ऑनलाइन सर्विसेज़ सिर्फ 60 सेवाओं में थीं, आज 1,100 सेवाओं में हो गई हैं। स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी सिर्फ दो लाख थी, आज 2022 में जम्मू-कश्मीर के 60 लाख युवाओं ने खेलों में हिस्सा लिया है। ये पूछते हैं कि क्या बदलाव आया है, तो मैं इन्हें यह बताना चाहता हूं कि ढेर सारी चीज़ें हैं। अब ये चले गए हैं। मैंने दूसरे सदन में भी बताया है। मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से इस देश को वादा किया था और मोदी सरकार एवं प्रधानमंत्री स्वयं इस बात पर अड़े हुए हैं कि कश्मीर के युवाओं को हाथ में कभी बंदूक उठानी नहीं पड़ेगी, पत्थर नहीं लेने पड़ेंगे। इनके हाथ में लैपटॉप और किताबें होंगी, नए कश्मीर की शुरुआत होगी। आतंकवाद-मुक्त कश्मीर बनने की शुरुआत हो गई है। नया कश्मीर, विकसित कश्मीर, जब विकसित भारत बनेगा, तब कश्मीर देश के सभी राज्यों के समकक्ष होकर वहां पर खड़ा होगा। ऐसे कश्मीर की रचना के लिए दुनिया भर के यात्री आएंगे। मैं जो दो विधेयक लेकर आया हूं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इन्हें सर्वसम्मति से पारित करें।

ओपन डेफिकेशन फ्री 50 से 60 परसेंट था, अब 100 परसेंट है, ऑनलाइन सर्विसेज़ सिर्फ 60 सेवाओं में थीं, आज 1,100 सेवाओं में हो गई हैं। स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी सिर्फ दो लाख थी, आज 2022 में जम्मू-कश्मीर के 60 लाख युवाओं ने खेलों में हिस्सा लिया है

❑❑❑

श्री अमित शाह, केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

1980 के दशक के बाद आतंकवाद का दौर आया और जो लोग पीढ़ियों से वहां रहते थे, वे समूल वहां से विस्थापित हो गए लेकिन किसी ने उनकी परवाह नहीं की। इन विस्थापितों को अपने ही देश के अन्य हिस्सों में शरणार्थी बनकर रहना पड़ा और वर्तमान आंकड़ों के अनुसार लगभग 46,631 परिवारों के 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। ये विधेयक उन्हें अधिकार और प्रतिनिधित्व देने वाला बिल है।

श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

आर्टिकल 370 हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्णय ऐतिहासिक है, जो 5 अगस्त, 2019 को संसद में लिए गए फैसले पर संवैधानिक मुहर लगाता है। इसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहनों के लिए उम्मीद, उन्नति और एकता का एक सशक्त संदेश है। माननीय कोर्ट के इस फैसले ने हमारी राष्ट्रीय एकता के मूल भाव को और मजबूत किया है, जो हर भारतवासी के लिए सर्वोपरि है। मैं जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के अपने परिवारजनों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके सपनों को पूरा करने के लिए हम हर तरह से प्रतिबद्ध हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध हैं कि विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। आर्टिकल 370 का दंश झेलने वाला कोई भी व्यक्ति इससे वंचित ना रहे।

आज का निर्णय सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज ही नहीं है, बल्कि यह आशा की एक बड़ी किरण भी है। इसमें उज्ज्वल भविष्य का वादा है, साथ ही एक सशक्त और एकजुट भारत के निर्माण का हमारा सामूहिक संकल्प भी है।

11 दिसंबर, 2023

भाजपा प्रकाशन विभाग
6-ए, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002